कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2019 / 795 दिनांक :: 05 जून, 2019

बैठक कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर एवं अध्यक्ष, कार्यकारी समिति की अध्यक्षता में उनके कक्ष में दिनांक 24 मई, 2019 को प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में उपस्थित सदस्य / अधिकारियों का विवरण परिशिष्ट–1 पर उपलब्ध है।

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निम्नलिखित अनुसार निर्णय लिये गये:–

प्रस्ताव संख्याः 1 :: गत बैठक दिनांक 8 मार्च, 2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि

कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 8 मार्च, 2019 का कार्यवाही विवरण जारी किया जा चुका है। अतः गत बैठक दिनांक 8 मार्च, 2019 में लिये गये निर्णयों की पुष्टि हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से गत बैठक दिनांक 8 मार्च, 2019 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि करने का निर्णय लिया गया। साथ ही अध्यक्ष महोदय ने यह भी निर्देश प्रदान किये कि आगामी बैठक में एजेण्डा संख्या 2 गत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना रिपोर्ट के संबंध में लिया जावे तथा उक्त एजेण्डा संख्या 2 में गत बैठक में लिये गये निर्णय की अनुपालना रिपोर्ट अंकित की जाकर कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

प्रस्ताव संख्या 2 :: ओवर ड्राफ्ट उपयोग करने की अवधि बढाने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया औधोगिक क्षेत्र शाखा, जोधपुर से अपने खाते में रूपये 40.00 करोड़ तथा बैंक ऑफ महाराष्ट्र पावटा शाखा से रूपये 20.00 करोड़ की अधिविर्कष (ओवर ड्राफ्ट) की सुविधा उपलब्ध थी।

दोनो ही बैकों से प्राप्त अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्ट) की सुविधा उपयोग करने की अवधि वर्ष 2019–20 तक बढायें जाने हेतु प्राधिकरण की कार्यसमिति की बैठक दिनांक 06.02.2019 के प्रस्ताव संख्या 12 पर निर्णय लिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक, जोधपुर ने अपने पत्र क्रमांक 2018–19 / 158 दिनांक 19.03.2019 द्वारा उक्त अधिविर्कष (ओवर ड्राफ्ट) सुविधा समाप्त करने बाबत् सूचित किया है। इस प्रकार वर्तमान में बैंक ऑफ महाराष्ट्र पावटा शाखा से रूपये 20.00 करोड़ की अधिविर्कष (ओवर ड्राफ्ट) की सुविधा उपलब्ध है। तद्नुसार कार्यकारी समिति को सूचनार्थ प्रेषित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श के दौरान निदेशक–वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कोई अधिविकर्ष सुविधा नहीं ले रखी है। प्रकरण समिति के समक्ष जानकारी हेतु

प्रस्तुत किया गया। सूचना रिकार्ड पर ली गयी। आवश्यकता पड़ने पर प्रोजेक्ट आधारित अधिविकर्ष (ओवर ड्राफ्ट) सुविधा ले ली जावे। वर्तमान में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

प्रस्ताव संख्या 3 :: Approval of Final Time Extenstion for the work of Sewrage Pakage South East Zone of Jodhpur

1	कार्य का नाम	Providing, laying jointing, Testing & commissioning of RCC Sewer System & all accessaries works PVC-U pipe including Manholes, Property connections & Restoration of Roads etc in South East Zone at Jodhpur.
2	संवदेक का नाम	M/s Standard Infratech India Pvt. Ltd., Hyderabad
3	अनुबंध संख्या	F38(4)/2013-14/Zone -Phe Dated 04.10.2013
4	प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति क्रमांक एवं राशि	JDA/A&F/TA to DE/12-13/1746-49 Dated 28.02.13 रू. 4980.0 लाख
5	तकनीकी स्वीकृति	DE(Phe)/15/13-14 Dated 12.08.2013 रू. 4665.0 लाख
6	कार्यदेश राशि	रू. 53,91,77,422.50
7	संशोधित प्रशासनिक एवं वितिय स्वीकृति क.एवं राशि	JDA/A&F/TA to DE/17-18/4525Dated 30.11.2017, रू. 5590.0 लाख (प्राधिकरण की दिनांक 15.11.2017 को को आयोजित कार्यकारी बैठक के प्रस्ताव संख्या 41 से अनुमोदनार्थ)
8	संशोधित तकनीकी स्वीकृति	DE/11/2018-19/Dated 21.05.2018 रू. 5551.31 लाख
9.	कार्य पर कुल व्यय राशि	रू. 5551.31 लाख
10	कार्य शुरू करने की नियत तिथी	14.10.2013
11	कार्य समाप्त करने की नियत तिथी	13.10.2015
12	कार्य करने की कुल समायवधि	730 दिवस
13	कार्य शुरू करने की वास्तविक तिथी	07.03.2014
14	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथी	07.03.2018
15	कार्य में हुई कुल देरी	889 दिवस
16	कार्य में हुई देरी के कारण	कार्य में कुल 889 दिन की देरी निम्न विभागीय कारणों से हुई जिसकी प्रति संलग्न है:–

उपरोक्त कारणों के अनुसार कार्य में हुई कुल देरी 889 दिवस विभागीय स्तर पर हुई। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि Price Escalation राशि रू. 891697.94 देय होती है परन्तु

संवेदक द्वारा अपने पत्र क्रमांक SIIP/Site/18-19/14 dated 15.05.2018 से अवगत करवाया कि वह Price Escalation का कोई Claim नही करेगा।

इस कार्य में समस्त बिछाई गई सीवर लाईनों का संधारण नगर निगम जोधपुर के पत्र क्रमांक 29595 दिनांक 29.11.2018 के द्वारा नगर निगम को हस्तांतरित की जा चुका है। इस पैकेज में प्रवाहित समस्त सीवरेज अपशिष्ठ नगर निगम द्वारा संचालित सालावास एस.टी.पी द्वारा ट्रिट किया जाता है।

अतः बिना मुआवजा के समायवधि दिनांक 07.03.2018 तक बढाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में निदेशक–अभियांत्रिकी ने प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए कार्य में हुए विलम्ब के कारणों से अवगत कराया। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार देरी विभागीय कारणों से होने के कारण बिना मुआवजा के समयावधि दिनांक 7 मार्च, 2018 तक बढाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 4 :: जोधपुर किला रोड से बालसमंद रावटी सडक तक नवीन निर्माण कार्य

जोधपुर किला रोड से बालसमंद रावटी सडक तक नवीन सडक निर्माण कार्य बाबत ई–निविदा सूचना संख्या, जोन उतर सी 02/2013–14 प.क्र. 3168 दिनांक 22.04.2013 जारी की गई थी। कार्य की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति क्रमांक JDA/A & F/TA to DE/2012-13/334 Dated 12-06-12 राशि रू0 1000.00 लाख की जारी की गई है तथा तकनीकी स्वीकृति क्रमांक DE/NC/64/13-14 दिनांक 24.04.2013 राशि रू. 1000.00 लाख की जारी की गई है। संवेदक को कार्यादेश क्रमांक 3768 दिनांक 21.08.2013 राशि रू. 89874078/– (7 % Above G -Schedule) PWD BSR 2012 पर जारी किया गया है।

तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदया के जोधपुर प्रवास के दौरान उक्त कार्यादेश के अन्तर्गत मुख्यमंत्री जन आवास योजना द्वितीय फेज तनावडा मे सडक निर्माण कार्य करवाया गया जिसकी पत्रावली के पैरा 123 पर तत्कालीन आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राशि रू. 20.59 लाख की स्वीकृति दिनांक 16.12.2016 को प्रदान की गई तथा पत्रावली के पैरा एन/149 द्वारा अन्यत्र स्थान पर करवाये गये उक्त कार्य का अनुमोदन कार्यकारी समिति मे करवाये जाने के निर्देश प्रदान किये है। तत्समय दक्षिण जोन में 2016–17 के दौरान दो कार्य ए.आर.सी. के चालु थे एवं उनमें बी.एस.आर. 2013 पर क्रमशः 22 % एवं 24.62 % below दरो पर कार्य आदेश दिया गया था जबकि उक्त कार्य के लिये बी.एस.आर. 2012 पर 7 % above पर कार्यादेश दिया। तकमीना के अनुसार इन दोनो बी.एस.आर. का तुलनात्मक विवरण तैयार किया गया जो संलग्न है एवं तुलना करने पर बी.एस.आर. 2012 के अनुसार उक्त दरे 10.96 % below आती है। कार्य की आवश्यकता को ध्यान मे रखते हुए उक्त कार्य दक्षिण जोन मे करवाया गया जबकि मूल कार्यादेश उतर जोन का था। चुंकि कार्य की शिफ्टिंग हुई है एवं संवेदक द्वारा कार्य पूर्ण किया जा चुका है। अतः भुगतान किया जाना जेडीए का दायित्व है अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष आवश्यक स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निदेशक–अभियांत्रिकी ने प्रस्ताव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से कार्य की आवश्यक प्रकृति एवं परिस्थितियों के मध्यनजर कार्य

शिफ्टिंग का कार्योत्तर अनुमोदन एवं जोन दक्षिण की स्वीकृत दर के अनुसार संवेदक को उक्त कार्य का भुगतान किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 5 :: राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी का खसरा संख्या 328/1, 328/1 मीन, 328/2 रकबा 20 बीघा 04 बिस्वाके वर्तमान भू–उपयोग MDP-2023(DRAFT) जोधपुर के अन्तर्गत ओ.सी.एफ. से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन।

ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 328/1, 328/1 मीन, 328/2 रकबा 20 बीघा 04 बिस्वा भूमि का वर्तमान भू–उपयोग **MDP-2031(DRAFT)** जोधपुर के अन्तर्गत ओ.सी.एफ. से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ. 37/भूउप/13/2018 आवेदक श्रीमती ईलकी पत्नि श्री रूपाराम, श्री रूपाराम पुत्र श्री पोलाराम जाति मेघवाल। निवासी– खारा बेरा पुरोहितान्, तहसील लूणी, जोधपुर।)

आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक-- 28 अगस्त, 2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 28 अगस्त, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

राजस्व ग्राम कुडी भगतासनी के खसरा संख्या 328/1, 328/1 मीन, 328/2 का भू–उपयोग वर्तमान **MDP-2023(DRAFT)** जोधपुर के अन्तर्गत ओ.सी.एफ. (अन्य सामुदायिक सुविधा) में आरक्षित हैं।

कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त भूमि पर बाउन्ड्री वॉल का निर्माण पाया गया शेष भूमि रिक्त पायी गयी। आवाप्ति शाखा में आवेदित भूमि की आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

आवेदित भूमि की पटवारी मौका रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि खसरा संख्या 328/1 रकबा 2.09 बीघा तथा , 328/1 मीन रकबा 14 बीघा भूमि कुला 16.09 बीघा भूमि खातेदार ईलकी जी रूपाराम 3/4 हि. एवं रूपाराम पुत्र पोलाराम 1/4 हि. जाति मेघवाल तथा खसरा संख्या 328/2 रकबा 3.15 बीघा भूमि खातेदार रूपाराम पुत्र पोलाराम जाति मेघवाल निवासी– खारा बेरा पुरोहितान् के नाम दर्ज है। एवं उत्तरी दिशा में पट्टियॉ लगी हुई एवं भूमि रिक्त पायी गयी है। निदेशक विधि की रिपोर्ट की पालना में **MDP-2031(DRAFT)** जोधपुर के अन्तर्गत ओ.सी.एफ. में शैक्षणिक गतिविधियॉ अनुज्ञेय नही है। गुलाब कोठारी के प्रकरण में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक– 12.011.2017 के पृष्ठ संख्या 248 पर निर्देश संख्या **(xi)** में निम्नलिखित निर्देश दिये गये है:–

The open spaces, green spaces, common facilities, playgrounds, gardens, parks, recreational area specified in the master development plan or zonal development plan shall be protected during the operative period of the plans and even thereafter while undertaking revision there of or preparing a new plan and the same shall not be diverted to the use other than those specified.

माननीय न्यायालय ने उक्त निर्देशों के परिपत्र में ओ.सी.एफ. को व्यापक जनहित में भू–उपयोग परिवर्तन नहीं लिया गया है।

आवेदित भूमि ओ.सी.एफ (अन्य सामुदायिक सुविधा) से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र

दिनांक– 20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार शैक्षणिक गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निदेशक–आयोजना ने अवगत कराया गया कि प्रकरण जनहित याचिका गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में अनुमत नहीं है। अतः प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाना उचित होगा। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को जनहित याचिका गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार व अन्य में अनुमत नहीं होने से अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6 :: राजस्व ग्राम गुजरावास का खसरा संख्या 208/7 रकबा 10 बीघा के आवासीय से एज्यूकेशनल हेतु भू–उपयोग परिवर्तन।

1. ग्राम गुजरावास के खसरा संख्या 208/7 रकबा 10 बीघा भूमि के वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से एज्यूकेशनल भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ. 37/भूउप/92/2010 आवेदक सेन्ट्रल मोर्डन एज्यूकेशन सोसायटी जोधपुर जरिये सचिव श्रीमती स्नेह तोमर पत्नि कर्नल एन.एस. तोमर निवासी– 5 ए, सेक्टर 5, सुभाष नगर बोस कॉलोनी, रक्षा प्रयोगशाला रोड़, रातानाडा, जोधपुर।)

2. आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आंमत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 11 नवम्बर, 2010 एवं दिनांक– 27 सितम्बर, 2018 एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक– 11 नवम्बर, 2010, दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 27 सितम्बर, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

3. सहायक नगर नियोजक की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम गुजरावास के खसरा संख्या 208/7 का मास्टर प्लान 2023 के अनुसार भू–उपयोग आवासीय आरक्षित है। खसरा संख्या 208/7 जोधपुर से जयपुर जानी वाली सड़क व रेलवे लाईन के उत्तर दिशा में पेट्रोल पम्प के पीछे स्थित है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साईट प्लान में 100' चौड़ी सडक जो रेलवे लाईन के बराबर प्रस्तावित को बन्द कर रखा है। इसी खसरे के पूर्व में खसरा संख्या 208/6 व रास्ता लगता है, पश्चिम में अन्य भूमि है तथा दक्षिण दिशा में रेल्वे लाईन व 100' मास्टर प्लान सड़क प्रस्तावित है।

4. आवेदित भूमि की पटवारी रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भूमि ग्राम गुजरावास के खसरा संख्या 208/7 रकबा 10 बीघा भूमि राजस्व अभिलेख जमाबन्दी अनुसार सेन्ट्रल मोर्डन एज्यूकेशन सोसायटी जोधपुर जरिये सचिव श्रीमती स्नेह तोमर पत्नि कर्नल एन.एस. तोमर के नाम खातेदारी दर्ज है। रेल्वे लाईन से कब्जा मध्य बिन्दु से 35' पर है, तथा मौके पर 80'ग 45' पर स्कूल बिल्डिंग बनी हुई है।

5. आवाप्ति शाखा में आवेदित भूमि की आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है। एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

6. आवेदित भूमि एज्यूकेशनल भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार शैक्षणिक गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निदेशक–आयोजना ने प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में रेलवे बाउण्ड्री वॉल से 100 फीट की सडक हेतु निःशुल्क समर्पण के पश्चात् भूमि का भू–उपयोग करने की अभिषंशा सहित प्रकरण राज्य सरकार को भू–उपयोग परिवर्तन की सक्षम स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। पट्टा जारी करते समय रेलवे सीमा एवं तत्समय उपलब्ध पहुंच मार्ग का ध्यान रखकर अग्रिम कार्यवाही की जावे।

प्रस्ताव संख्या 7 :: ग्राम धिनाणा की ढाणी खसरा संख्या 575/8/2, रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा 03 बिस्वांशी आवासीय (मास्टर प्लान 2023 ड्राफ्ट) से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ में भू–उपयोग परिवर्तन करने बाबत्।

1. ग्राम धिनाणा की ढाणी के खसरा संख्या 575/8/2 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा 03 बिस्वांशी भूमि के वर्तमान भू–उपयोग आवासीय से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/03/2018 आवेदक बसन्त एज्यूकेशन सोसायटी जरिये अध्यक्ष विनय कुमार जैन पुत्र श्री सुखवीर सिंह जैन, निवासी– ए–46, शास्त्रीनगर, जोधपुर।

2. आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आंमत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 22 मार्च, 2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 22 मार्च, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

3. पटवारी की रिपोर्ट अनुसार आवेदित भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार बसन्त एज्यूकेशनल सोसायटी जरिये अध्यक्ष श्री विनय कुमार जैन पुत्र श्री सुखवीर सिंह जैन जाति अग्रवाल सा. ए–46 शास्त्रीनगर, जोधपुर के नाम दर्ज है।

4. कनिष्ट अभियनता के मौका रिर्पोट अनुसार उक्त भूमि रिक्त है एवं भूमि के चारो ओंर बाउन्ड्री वॉल का निर्माण है।

5. आवाप्ति शाखा में आवेदित भूमि की आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

6. आवेदित भूमि शिक्षण प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावधानुसार शैक्षणिक गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निदेशक–आयोजना ने प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में मार्गाधिकार/पहुँच मार्ग के बारे में स्पष्ट रिपोर्ट प्राप्त कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 8 :: राजस्व ग्राम चौखा का खसरा संख्या 729/1, 730 रकबा 7280 वर्गगज के आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन।

1. ग्राम चौखा के खसरा संख्या 729/1, 730 रकबा 7280 वर्गगज (6087.08 वर्गमीटर) भूमि का वर्तमान भू–उपयोग आवासीय (लैण्ड यूज प्लान 2023 जोधपुर) से होटल प्रयोजनार्थ भू– उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/25/2018 आवेदक विमला महानन्दानी।)

2. आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 07 सितम्बर, 2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 07 सितम्बर, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

3. सीनियर ड्राफ्ट मैन की रिपोर्ट अनुसार राजस्व ग्राम चौखा के खसरा संख्या 729/1, 730 का भू–उपयोग लैण्ड युज प्लान 2023 जोधपुर के अन्तर्गत आवासीय प्रयोजनार्थ आरक्षित है।

4. पटवारी की रिपोर्ट अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा जारी पट्टा विलेख क्रमांक–2576 दिनांक– 17.12.2013 के अनुसार आवेदित भूखण्ड श्रीमती विमला महानन्दानी पत्नि श्री अशोक महानन्दानी जाति सिन्धी का स्वामित्व है, एवम् पट्टा विलेख के अनुसार उत्तर में 200 फीट मार्गाधिकार स्थित है। मौके पर 110'X70' का अधूरा निर्माण बना हुआ है, जो बन्द है। शेष भूमि खाली है।

5. आवाप्ति शाखा में आवेदित भूमि की आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं इस संबंधित कोई वाद न्यायालय में लंबित नहीं है।

6. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 12.04.2018 में उल्लेखित प्रावधानुसार होटल प्रयोजनार्थ गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है। अतः आवेदित भूमि के आवासीय से होटल प्रयोजनार्थ भू–उपयोग परिवर्तन करने की अनुशंषा राज्य सरकार को की जा सकती है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निदेशक–आयोजना ने प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण का अनुमोदन करते हुए प्रकरण में राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 9 :: राजस्व ग्राम मण्डोर का खसरा संख्या 1583/16 रकबा 6.10 बीघा के वर्तमान भू–उपयोग MDP- 2023(DRAFT) जोधपुर के अन्तर्गत सरकारी प्रयोजन से रिजोर्ट प्रयोजनार्थ हेतु भू–उपयोग परिवर्तन।

1. ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1583/16 रकबा 6.10 बीघा भूमि का वर्तमान भू–उपयोग **MDP-2031(DRAFT)** जोधपुर के अन्तर्गत सरकारी प्रयोजन से रिजोर्ट भू–उपयोग परिवर्तन करने के संबंध में। (प्रकरण संख्या एफ.37/भूउप/24/2018 आवेदक श्री नरपत सिंह, भीक सिंह, जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामगोपाल सिंह निवासी– मण्डोर, बालसमन्द जोधपुर।)

2. आवेदकगण द्वारा भू–उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु दो समाचार–पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक– 25 सितम्बर, 2018 एवं दैनिक भास्कर के अंक दिनांक– 25 सितम्बर, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में आपत्ति प्राप्त हुई, जिसकी आपत्ति का निस्तारण किया जाना है।

3. राजस्व ग्राम मण्डोर के खसरा संख्या 1583/16 का भू–उपयोग वर्तमान **MDP-2023(DRAFT)** जोधपुर के अन्तर्गत सरकारी प्रयोजन में आरक्षित है, जिसमें पर्यटन ईकाई (रिजोर्ट हेतु) अनुज्ञेय है।

4. पटवारी की रिपोर्ट अनुसार स्वामित्व दस्तावेज जमाबन्दी अनुसार ग्राम मण्डोर प्रथम के खसरा संख्या 1583/16 रकबा 6–10 बीघा किस्म बासनी प्रथम, मु. पर आवेदक का स्वामित्व है। आवेदित भूमि मौके पर चार दीवारी निर्मित है, एवं एक 10'X10' फीट में कमरा निर्मित है। आवेदित भूमि के आगे मार्गाधिकार 60 फीट पाया गया है।

5. ट्यूरिजम विभाग, राजस्थान के पत्र क्रमांक– **TOURISM/2018-19/100342 DATE 07-06-2018** के क्रम में रिजोर्ट हेतु अनुमति स्वीकृत है।

6. आवाप्ति शाखा में आवेदित भूमि की आवाप्ति शाखा में विचाराधीन नहीं है, एवं इस संबंध में निदेशक विधि अनुसार कोई प्राधिकरण में वाद प्रस्तुत नहीं है, एवं पटवारी की रिपोर्ट अनुसार श्री बक्सीराम ढाका ने आक्षेप लगाया कि खसरा संख्या 1583/9 में तहसीलदार जोधपुर ने माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर में रेफरेन्स वाद दायर कर रखा है। उक्त वाद संख्या 298/2010 इस आधार पर है, कि खसरा रिट संख्या संवत् 2018 में दिनांक– 11.03.1962 के आदेश का हवाला देकर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है, जो आदेश फर्जी है। तहसीलदार, जोधपुर द्वारा बताया गया है, माननीय उच्च न्यायालय से पूर्व 05.07.2006 को माननीय न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर एक्ट दिनांक– 29.12.2008 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में वाद खारिज हो चुके है, तब उक्त वाद माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है। इस संबंध में ज्ञातत्व है कि दिनांक– 08.09.2015 को खसरा संख्या 1583/9 का विभाजन होकर 1583/16 व अन्य खसरे बने है।

7. प्रार्थी द्वारा इस संबंध में एक शपथ–पत्र प्रस्तुत कर उल्लेख किया है, कि जो खसरा 1583/16 ग्राम मण्डोर का भू–उपयोग परिवर्तन रिजोर्ट प्रयोजन प्रकरण में कोई वाद–विवाद किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। यद्यपि किसी भी प्रकार की कानूनी कार्यवाही किसी के द्वारा की जाती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी उसकी स्वंय की होगी। इसमें किसी भी प्रकार की जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की जिम्मेदारी नहीं होंगी।

8. राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक– 20.07.2017 अनुसार रिसोर्ट को व्यापक जनहित की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गुलाब कोठारी बनाम राज्य

सरकार सिविल रिट पिटीशन संख्या 1554/2004 में पारित निर्णय के क्रम में उक्त प्रकरण में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही किया जाना उचित नहीं होगा।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में निदेशक-आयोजना ने प्रकरण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को अस्वीकृत करते हुए निस्तारित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में मास्टर प्लान में इस भूमि से संबंधित प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण होने के पश्चात् यदि आवेदक चाहे तो नवीन आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा।

प्रस्ताव संख्या 10 :: ग्राम भवाद (बावडी) खसरा संख्या 286 में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय को भूमि आवंटन के अनुमोदन के संबंध में।

आवेदकगण प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, भवाद (बावडी) जोधपुर द्वारा ग्राम भवाद (बावडी) खसरा संख्या 286 में रकबा 4000 वर्गमीटर भूमि आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक- 09.02.2018 के प्रस्ताव संख्या 09 में हुए निर्णयानुसार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ग्राम भवाद (बावडी) खसरा संख्या 286 किस्म गैर मुमकिन औरण रकबा 92-11 बीघा भूमि में से 07 बीघा भूमि उक्त विद्यालय को भू-उपयोग परिवर्तन पश्चात् निःशुल्क आवंटन करने हेतु प्राधिकरण की अनुशंषा के साथ प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावें। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया है, कि प्रभारी अधिकारी (आंवटन शाखा) राज्य सरकार को प्रस्ताव प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि मौके पर विद्यालय भवन का निर्माण कितनी भूमि पर हुआ है, एवं विद्यालय की चार दीवारी कितने क्षैत्रफल में निर्मित है।

आवेदित भूमि स्कूल तालाब खसरा सख्जवया 283 की पाल के पास स्थित है, तालाब पाल की चौडाई 70'-80' फीट चौडी है, स्कूल ग्राम भवाद की आबादी की मुख्य सडक पर स्थित है।

वर्तमान में उक्त भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण ऐरिया (MDP 2031 (DRAFT) से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन के संबंध में आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने हेतु समाचार-पत्र यथा दैनिक नवज्योति के अंक दिनांक- 29 मार्च, 2018 में आम सूचना का प्रकाशन किया गया। जिसके क्रम में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है।

आवेदित भूमि के नगर नियोजक सहायक की रिपोर्ट की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित भूमि का भू-उपयोग (MDP 2031 (DRAFT)) अनुसार WATER BODY के सहारे वृक्षारोपण पट्टी छोडते हुए शेष भाग ग्रामीण ऐरिया में स्थित है। आयोजना शाखा में उपलब्ध आपत्ति/सुझाव विश्लेषण (MDP 2031 (DRAFT))अनुसार उक्त खसरा विशेष पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है।

राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक- 20 जुलाई, 2017 में उल्लेखित प्रावाधानुसार गतिविधियों को व्यापक जनहित माना गया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से वाटर बॉडी व 100 फीट वृक्षारोपण पट्टी हेतु भूमि छोड़ने के पश्चात् शेष भूमि के भू–उपयोग परिवर्तन हेतु प्रकरण अभिषंशा स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाने का भी निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 11 :: प्राधिकरण जोधपुर की आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नये पदों का विस्तार व सृजन हेतु आवश्यक सुझाव।

प्राधिकरण में वर्तमान में ACP के पद को Programmer में परिवर्तित कर दिया गया है। तथा नयीं कैंडर अनुसार सूचना सहायक के 5 पदों में से चार पद समाप्त कर एक पद कर दिया गया है। प्राधिकरण मे विभिन्न कार्यो का संचालन व मोनिटरिंग IT DEPTT. से होती है जिसमे पैरा न0 5 मे वर्णित कार्यो के अलावा वर्तमान में कई कार्यो का संचालन सूचना सहायको द्वारा किया जाता है। वर्तमान मे विभिन्न पदो की आवश्यकता को देखते हुये एवं प्राधिकरण मे online कार्य का विस्तार हो जाने के कारण निम्न पदों की अति आवश्यकता है जिसे शीघ्र ही नये पदो का सृजन कराया जाये। वर्तमान पदो के अलावा निम्न पदो का शीघ्र ही सृजन किया जाये।

1. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक)– 1 पद वेतन श्रृंखला 15600–39100 L-16
2. प्रोग्रामर – 1 पद वेतन श्रृंखला 9300–34800 L-12
3. सहायक प्रोग्रामर - 4 पद वेतन श्रृंखला 9300–34800 L-10
4. सूचना सहायक – 8 पद वेतन श्रृंखला 5200–20200 L-8

उक्त पदो के सृजन हेतु शीघ्र ही वित्त विभाग एवं Doit&C को पत्र लिखकर नये पदो का सृजन करवाये जिससे IT के कार्यों का प्राधिकरण में चल रही सभी योजनाओ का आमजन को लाभ व सुविधा पहुंचायी जा सके।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार पद सृजन हेतु वित्त विभाग एवं DOIT को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 12 :: प्राधिकरण में कम्प्यूटराईजेशन अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020 तक NIC/NICSI के माध्यम से करवाने बाबत।

जोधपुर विकास प्राधिकरण मे NIC/NICSI द्वारा कम्प्यूटरराईजेशन का कार्य फरवरी 2013 से कियाजारहाहै।

NIC/NICSI भारत सरकार का विभाग है जिसका उद्देश्य सरकारी विभागों में ई–गर्वनेश को बढ़ावा देना है।

प्राधिकरण मे किया गया अब तक का कम्प्यूटराईजेशन NIC/NICSI द्वारा संतोषजनक रहा है। वर्तमान में प्राधिकरण में बजट 2019–20,फाईल ट्रैकिंग सिस्टम (FTS), IDMS,Salary and Pension मेनेजमेन्ट सिस्टम, इन्जिनियरिंग प्रोजेक्ट मेनेजमेन्ट सिस्टम (ऐस्टिमेट,A&F,टेक्निकलसेक्शन, एन आईटी वर्क आर्डर,रिवाईज ऐस्टिमेट, मेजरमेन्टबुक, रनिंग बिल), मुख्यमंत्री जनआवास योजना के ऑनलाईन आवेदन का कार्य, ऑनलाईन सर्विसेज (नाम हस्तांतरण, मानचित्र स्वीकृति, लीज मुक्ति प्रमाणपत्र, बेचानअनुमति, अनापत्ति प्रमाणपत्र, ऑनलाइन भुगतान), प्रोपटी रजिस्टर, कम्प्यूटरराईज लॉटरी, अकाउण्ट सिस्टम, स्केनिंग आदि

महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहाहै। प्राधिकरण में उपरोक्त कम्प्यूटरईजेशन कार्य हेतु सालाना 175 लाख का बजट प्रोविजन है।
जिसमे NIC/NICSI द्वारा प्राप्त वार्षिक Performa Income अनुसार अग्रिम भुगतान किया जाता है।
अतः उपरोक्त कम्प्यूटराईजेशन अप्रेल 2019 से मार्च 2020 तक NIC/NICSI के माध्यम से करवाने का प्रस्ताव EC में अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्तावानुसार कम्प्यूटराईजेशन अप्रेल 2019 से मार्च 2020 तक NIC/NICSI के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 13 :: श्री शकीर हुसैन पुत्र स्व. श्री मुमताज अहमद भूखण्ड संख्या 250 सेक्टर–04 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा की भिन्न आय वर्ग की राशि जमा करवाने के संबंध में।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की लॉटरी दिनांक 25.07.2008 के अनुसार रामराज नगर योजना ग्राम चौखा में श्री शाकिर हुसैन पुत्र स्व. श्री मुम्ताज अहमद को भूखण्ड संख्या. 250 सेक्टर–04, क्षैत्रफल 20x45 =83.61 वर्गमीटर का आवंटित किया गया । आवंटन –पत्र अनुसार प्रार्थी ने रसीद संख्या 0044853 दिनांक 29.09.2009 के जरिये रूपये 39,012/– रूपये जमा करा दिये है । प्रार्थी द्वारा अपने से निम्न आय वर्ग के लिए आवेदन करने पर भूखण्ड आवंटित हो जाने के कारण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.04.2010 के प्रस्ताव संख्या 4(1) के अनसुार भिन्न आय वर्ग में आवेदन करने के कारण अन्तर राशि रूपये 32,686/– व शास्ती की देय राशि 12,228/– कुल रूपये 44,914/– का नोटिस पत्र क्रमांक :– एफ 48/आर.एल./2010/1864 दिनांक 09.08.2010 को जारी किया गया था । प्रार्थी द्वारा समय पर राशि जमा नहीं कराई है । जिसकी निर्धारित अवधि 30 दिन पत्र प्राप्ति से थी। प्रार्थी अब राशि जमा करवाना चाहता है ।

पत्रावली के पैरा नं. 43 की पालना में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एजेण्डा तैयार कर कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 06.02.2019 में रखा जाना था, किन्तु किसी कारणवंश कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय नहीं हुआ । सचिव महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक बैठक/2019/635 दिनांक 12.02.2019 के अनुसार पुनः प्रकरण आयुक्त महोदय की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये थें ।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए नियमानुसार 5 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि आवेदक को लौटाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 14 :: श्री लाडा राम पुत्र स्व. श्री गिरधारी लाल भूखण्ड संख्या 57, सेक्टर–05, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा की भिन्न आय वर्ग की राशि जमा करवाने के संबंध में।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की लॉटरी दिनांक 25.07.2008 के अनुसार रामराज नगर योजना ग्राम चौखा में श्री लाडाराम पुत्र स्व. श्री गिरधारी लाल को भूखण्ड संख्या

57 सेक्टर–05, क्षैत्रफल 15×30 =41.81 वर्गमीटर का आवंटित किया गया । आवंटन –पत्र अनुसार प्रार्थी ने रसीद संख्या 0043920 दिनांक 12.09.2008 के जरिये रूपये 5302/– रूपये जमा करा दिये है । प्रार्थी द्वारा अपने से निम्न आय वर्ग के लिए आवेदन करने पर भूखण्ड आवंटित हो जाने के कारण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.04.2010 के प्रस्ताव संख्या 4(1) के अनसुार भिन्न आय वर्ग में आवेदन करने के कारण अन्तर राशि रूपये 30,574/– व शास्ती की देय राशि 6,115/– कुल रूपये 36,689/– का नोटिस पत्र क्रमांक :– एफ 48/आर.एल. /2010/1574 दिनांक 009.07.2010 को जारी किया गया था । प्रार्थी द्वारा समय पर राशि जमा नहीं कराई है । जिसकी निर्धारित अवधि 30 दिन पत्र प्राप्ति से थी । प्रार्थी अब राशि जमा करवाना चाहता है । साथ ही मंदिर जाने का रास्ता बना है जिस पर उक्त भूखण्ड आ रहा है । अतः अन्य भूखण्ड दिया जाना प्रस्तावित है ।

पत्रावली के पैरा नं. 60 की पालना में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एजेण्डा तैयार कर कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 06.02.2019 में रखा जाना था, किन्तु किसी कारणवंश कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय नहीं हुआ । सचिव महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक बैठक/2019/635 दिनांक 12.02.2019 के अनुसार पुनः प्रकरण आयुक्त महोदय की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे ।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए नियमानुसार 5 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि आवेदक को लौटाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 15 :: श्री सोहन लाल विश्नोई पुत्र श्री बरीग राम भूखण्ड संख्या 395 दन्तोपंत ढेगडी नगर योजना ग्राम चौखा की भिन्न आय वर्ग की राशि जमा करवाने के संबंध में ।

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की लॉटरी दिनांक 25.07.2008 के अनुसार दन्तोपंत ढेगडी नगर योजना ग्राम चौखा में श्री सोहन लाल विश्नोई पुत्र श्री बरीग राम को भूखण्ड संख्या 395, क्षैत्रफल 30×64 =178.36 वर्गमीटर का आवंटित किया गया । आवंटन –पत्र अनुसार प्रार्थी ने रसीद संख्या 0046124 दिनांक 03.11.2008 के जरिये रूपये 1,53,901/– रूपये जमा करा दिये है । प्रार्थी द्वारा अपने से निम्न आय वर्ग के लिए आवेदन करने पर भूखण्ड आवंटित हो जाने के कारण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 13.04.2010 के प्रस्ताव संख्या 4(1) के अनुसार भिन्न आय वर्ग में आवेदन करने के कारण अन्तर राशि रूपये 26,085/– व शास्ती की देय राशि 26,085/– कुल रूपये 52,170/– का नोटिस पत्र क्रमांक :– एफ 48/आर.एल/2010/1626 दिनांक 12.07.2010 को जारी किया गया था । प्रार्थी द्वारा समय पर राशि जमा नहीं कराई है । जिसकी निर्धारित अवधि 30 दिन पत्र प्राप्ति से थी । प्रार्थी अब राशि जमा करवाकर लीजडीड जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली के पैरा नं. 48 की पालना में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एजेण्डा तैयार कर कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 06.02.2019 में रखा जाना था, किन्तु किसी कारणवंश कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय नहीं हुआ । सचिव महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक बैठक/2019/635 दिनांक 12.02.2019 के अनुसार पुनः प्रकरण आयुक्त महोदय की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे ।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में भूखण्ड का आवंटन निरस्त करते हुए नियमानुसार 5 प्रतिशत राशि काटकर शेष राशि आवेदक को लौटाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 16 :: श्री भंवर सिंह पुत्र श्री मालम सिंह भूखण्ड संख्या 104 सेक्टर–01, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर की राशि जमा करवाने बाबत् ।

प्रार्थी श्री भंवर सिंह शेखावत एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटित भूखण्ड संख्या 104 सेक्टर–4, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर की राशि जमा कराने की मांग की है । आवेदक को लॉटरी दिनांक 22.02.2018 को भूखण्ड संख्या 104 सेक्टर–04, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर में आवंटन किया गया था । जिसका आवंटन पत्र क्रमांक 2711 दिनांक 21.03.2018 को जारी किया गया । आवंटन पत्र की शर्त संख्या 03 के अनुसार **"आवंटित भूखण्ड की राशि पत्र प्राप्ति से 30 दिवस में जमा कराना अनिवार्य था । इसके पश्चात् आगामी 60 दिवस तक 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज सहित जमा करा सकता था। किन्तु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथी से देय होगा । 90 दिवस पश्चात् भूखण्ड स्वतः निरस्त हो जायेगा । जिसकी पृथक से सूचना जारी नहीं की जावेगी ।"** प्रार्थी का भूखण्ड स्वतः निरस्त हो चुका है । चूंकि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर भूखण्ड को नियमितिकरण करने की मांग की है ।

भूमि निष्पादन अधिनियम 1974 की धारा 17(5) के अनुसार 6 माह तक ब्याज 15 प्रतिशत वार्षिक दर से एवं शास्ती 5 प्रतिशत से एवं 6 माह पश्चात् ब्याज 15 प्रातिशत दर से एवं शास्ती 10 प्रतिशत से 1 वर्ष तक आयुक्त महोदय की सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर भूखण्ड की राशि जमा की जा सकती है । इसके पश्चात् 2 वर्ष तक भूखण्ड को नियमितिकरण करने हेतु कार्यकारी समिति में रखा जाकर नियमित किया जा सकता है । 2 वर्ष पश्चात् कार्यकारी समिति से अनुमोदन के पश्चात् राज्य सरकार की सक्षम स्वीकृतिके पश्चात् आवंटित भूखण्ड को बहाल किया जा सकता है ।प्रकरण मे 1 वर्ष 2 माह करीब पूर्ण हो चुके है ।

अतः प्रकरण में एक वर्ष से अधिक का समय होने पर कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन होने के पश्चात् राशि मय ब्याज व शास्ती के जमा की जा सकती हे ।

प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 17 :: श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री दुर्गाराम जाट भूखण्ड संख्या 203 सेक्टर–03, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर का आवंटन पत्र प्राप्त नहीं बाबत् ।

प्रार्थी श्री कल्याण सिंह पुत्र श्री दुर्गाराम जाट को लॉटरी दिनांक 22.02.2018 के जरिये भूखण्ड संख्या 203 सेक्टर–03, रामराज नगर योजना ग्राम जोधपुर में आवंटित किया गया । जिसका आवंटन पत्र क्रमांक एफ 46/DC (W)/रामराज/2018/2907 दिनांक 02.04.2018 को जावक शाखा को दिनांक 06.04.2018 को रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा प्रार्थी के स्थाई पते पर भेजा गया । प्रार्थी का कथन है कि मुझे आवंटन पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तथा राजवीर सिंह नाम के

व्यक्ति द्वारा मेरा आवंटन पत्र प्राप्त किया है जो मेरे परिवार का सदस्य नहीं है । मैने मेरे आवेदन पत्र में पत्र व्यवहार का पता अंकित किया फिर भी मेरे स्थाई पते पर भेजने का क्या औचित्य था । प्रार्थी द्वारा आवंटन पत्र की सत्य प्रतिलिपि दिनांक 05.07.2018 को प्राप्त की है । लेकिन भूखण्ड की राशि आज तक पत्रावली के अनुसार जमा होना प्रतीत नहीं होती है । प्रार्थी ने पुनः आवंटन पत्र जारी करने की मांग की है तथा भूखण्ड की राशि बिना ब्याज/शास्ती के जमा करने की मांग की है ।

पत्रावली के पैरा नं. 30 की पालना में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार एजेण्डा तैयार कर कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 06.02.2019 में रखा गया था । किन्तु किसी कारणवंश कार्यकारी समिति की बैठक में निर्णय नहीं हुआ । सचिव महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक बैठक/2019/635 दिनांक 12.02.2019 के अनुसार पुनः प्रकरण आयुक्त महोदय की सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् रखे जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे । प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में पुनः आवंटन पत्र वर्तमान दर से सही पते पर जारी करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में इस प्रकार गलत स्थान पर पत्र प्रेषित करने की पुरावृति नहीं हो इसका ध्यान रखने हेतु कार्मिकों को हिदायत दी जावे।

प्रस्ताव संख्या 18 :: श्री गोविन्द सिंह राठौड पुत्र श्री भंवर सिंह राठौड भूखण्ड संख्या 54 सेक्टर–02, रामराज नगर योजना ग्राम चौखा लीज राशि जमा करवाने के संबंध में ।

कार्यालय नगर विकास न्यास, जोधपुर की लॉटरी दिनांक 1407.2008 के अनुसार रामराज नगर योजना ग्राम चौखा में श्री गोविन्द सिंह राठौड पुत्र श्री भंवर सिंह राठौड को भूखण्ड संख्या 54, सेक्टर–02 क्षेत्रफल 30×64 =178.36 वर्गमीटर का आवंटित किया गया । आवंटन –पत्र अनुसार प्रार्थी ने रसीद संख्या 0043223 दिनांक 05.09.2008 के जरिये रूपये 1,54,001/– रूपये जमा करा दिये है । प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की मांग की गई । भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही में प्रार्थी को भूखण्ड का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए पत्र क्रमांक एफ–48/वसूली/हुडको/2009/3926 दिनांक 25.09.2009 को पत्र जारी किया गया । जिसमें पत्र प्राप्ति से 7 दिवस के अन्दर–अन्दर कब्जा प्राप्त करने का लिखा गया । प्रार्थी द्वारा उस समयावधि में कब्जा प्राप्त नहीं किया गया । भूखण्ड की लीजडीड प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25.09.2009 को श्री गोविन्द सिंह राठौड पुत्र श्री भंवर सिंह राठौड के नाम जारी की गई । प्रार्थी द्वारा दिनांक 17.07.2017 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कब्जा पत्र जारी करने की मांग की गई । प्रार्थी श्री गोविन्द सिंह राठौड पुत्र श्री भंवर सिंह राठौड द्वारा दिनांक 27.04.2018 के द्वारा भूखण्ड का कब्जा प्राप्त किया गया । प्रार्थी श्री गोविन्द सिंह राठौड पुत्र श्री भंवर सिंह राठौड द्वारा दिनांक 29.03.2019 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर भूखण्ड की लीज राशि 27.04.2018 से लागू करने की मांग की गई । किन्तु प्रार्थी को कब्जा पत्र जारी करने का पत्र दिनांक 25.09.2009 को जारी किया गया । परन्तु प्रार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में कब्जा पत्र प्राप्त नही किया गया । भूखण्ड की लीज राशि कब से ली जावें ! इसका निर्णय लेने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गयी। आवंटन पत्र दिनांक 1 अगस्त, 2008 की शर्तो का अवलोकन किया गया। शर्त संख्या (1) अनुसार उक्त आवंटन लीज के आधार पर है। शर्त संख्या (v) के अनुसार आवंटी द्वारा भूखण्ड की पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर पर लीज डीड पंजीयन हेतु आवेदन करना होगा। कब्जा लीज डीड के साथ दिया जायेगा। कब्जा पत्र में अंकित समय में कब्जा प्राप्त न करने पर कब्जा लिया हुआ माना जावेगा। शर्त संख्या (vi) के अनुसार यदि आवंटी द्वारा पूर्ण राशि जमा कराने के 15 दिवस के भीतर भीतर लीज डीड पंजीकृत नहीं कराई तो भी नगरीय कर क्रेता द्वारा राशि जमा कराने की तिथि से देय होगा। प्रार्थी श्री गोविन्द सिंह राठौड के नाम प्राधिकरण का पत्र क्रमांक 3926 दिनांक 25 सितम्बर, 2009 जारी हुआ है जिसमें भौतिक कब्जा प्राप्त करने एवं लीज डीड प्राप्त करने बाबत है। इस पत्र के बिन्दु संख्या 2 में पत्र प्राप्ति के 7 दिवस में कनिष्ठ अभियन्ता श्री अर्जुन भास्कर, जो.वि.प्रा. से निर्धारित प्रपत्र में भूखण्ड का कब्जा प्राप्त कर आदान प्रदान की सूचना शाखा को प्रेषित करने तथा भौतिक कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् ही लीज डीड पंजीयन हेतु सुपुर्द करने हेतु सूचित किया गया है। प्रार्थी को दिनांक 25 सितम्बर, 2009 को जारी लीज डीड के बिन्दु संख्या (अ) पर 4348 रूपये प्रति वर्ष लीज अदा करने का उल्लेख है तथा शर्त संख्या 11 में आवंटन एवं लीज डीड की सभी शर्तें मान्य होने का उल्लेख है। पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट दिनांक 27 अक्टूबर, 2008 एवं दिनांक 24 अगस्त, 2017 को मौके पर भूखण्ड रिक्त पाया गया। प्रार्थी ने केवल लीज अदायगी से बचने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 17 जुलाई, 2017 पेश किया है। प्रार्थी को उपायुक्त (पश्चिम) द्वारा जो पत्रांक 899 – 900 दिनांक 28 अगस्त, 2017 जारी हुआ है उसके बिन्दु संख्या 4 में अंकित है कि भौतिक कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् लीज राशि जमा करवानी होगी तत्पश्चात् लीज डीड जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। जब प्रार्थी को लीज डीड दिनांक 25 सितम्बर, 2009 को जारी है मौके पर कब्जे में कोई समस्या नहीं थी किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं था तो केवल लीज अदायगी से बचने हेतु पुनः कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही जो कि लीज डीड जारी होने के आठ वर्ष बाद कब्जे प्राप्ति की कार्यवाही प्रार्थी को लीज अदायगी के दायित्व से मुक्त नहीं करता है। पत्रावली में ऐसा कोई भी दस्तावेज भी उपलब्ध नहीं है कि प्रार्थी द्वारा लीज डीड प्राप्ति दिनांक 25 सितम्बर, 2009 से प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र पेश करने की दिनांक 17 जुलाई, 2017 के बीच प्राधिकरण में कब्जा प्राप्ति का प्रयास किया हो अथवा प्राधिकरण द्वारा कब्जा नहीं दिया गया हो।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर समिति द्वारा सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि प्रार्थी को लीज डीड जारी करने की दिनांक 25 सितम्बर, 2009 से लीज ली जावे।

प्रस्ताव संख्या 19 :: श्री चन्द्रप्रकाश पुत्र श्री भंवरलाल भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर–डी,, कीर्ति नगर योजना के बदले अन्य भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।

प्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश पुत्र श्री भॅवरलाल को भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर–डी कीर्तिनगर में दिनांक 26.10.1988 को आवंटन किया गया था तथा सम्पूर्ण राशि दिनांक 07.01.1988 व 15.01.1988 को जमा कराई जा चुकी तथा लाईसेंस दिनांक 21.04.1989 को जारी है। मौके पर कच्ची बस्ती के तहत सर्वे संख्या 7/36 के द्वारा श्रीमति मीना देवी स्व. श्री शंकर लाल को भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर–डी कीर्ति नगर का नियमन दिनांक 28.02.2003 को हो चुका है । तथा वर्तमान कनिष्ठ अभियन्ता की मौका रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में भूखण्ड पर श्रीमति मीना देवी पत्नी स्व. श्री शंकर लाल का कब्जा होना बताया है । प्रार्थी श्री चन्द्रप्रकाश द्वारा भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर–डी कीर्ति नगर के एवज में अन्य योजना में भूखण्ड आवंटन करने की मांग की गई । प्रकरण कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.03.2017 में रखा गया । कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 03.03.2017 के प्रस्ताव संख्या 8 में निर्णय लिया गया कि प्रार्थी श्री चन्द्र प्रकश को भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर–डी कीर्ति नगर के समतुल्य क्षैत्रफल का भूखण्ड जोधपुर विकास

प्राधिकरण की राजीव गांधी नगर योजना में आवंटित करने का निर्णय लिया गया । यू. डी. एच. से पत्र क्रमांक 5675 दिनांक 19.06.2017 का सचिव महोदय को व्यक्तिगत रूप से प्राप्त हुआ । जिसके अनुसार प्रार्थी श्री चन्द्र प्रकाश को भूखण्ड संख्या 58 सेक्टर–डी कीर्ति नगर में अतिक्रमण के बदले राजीव गांधी नगर योजना में भूखण्ड आवंटन के लिए सहमति मांगी गई । प्रार्थी ने पत्र में लिखा है कि उक्त योजना में सडक, सिविर लाईन, आदि कई प्रकार की सुविधाएं नहीं होने के कारण प्राधिकरण की रामराज नगर योजना या विवेक विहार योजना में भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है । प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रार्थी की मांग को अस्वीकार करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 20 :: श्री मुकुट लाल माथुर पुत्र श्री उमराव मल माथुर भूखण्ड संख्या 345 सेक्टर–01 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर अधिक जमा राशि का रिफण्ड करने के सबंध में

प्रार्थी श्री मुकुट लाल माथुर पुत्र श्री उमराव मल माथुर को पूर्वी पाल रोड योजना में लॉटरी दिनांक 04.08.1989 को भूखण्ड संख्या 05, सेक्टर–ए, पूर्वी पाल रोड येाजना में आवंटन किया गया था । जिसका क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर था । जिसका लाईसेन्स व साईट प्लान दिनांक 03.08.1991 को जारी किया गया। प्रार्थी को भौतिक कब्जा देते वक्त खसरा नं. 740/996 में विवाद होने के कारण न्यायालय में वाद लम्बित होने के कारण भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया । आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवेक विहार योजना, रामराज नगर योजना व विजयाराजे नगर योजना में भूखण्ड दिलाने की मांग करने पर प्रकरण कार्यवाही समिति की बैठक दिनांक 27.07.2018 के प्रस्ताव संख्या 55 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रार्थी की सहमति के आधार पर रामराज नगर चौखा में भूखण्ड संख्या 345 सेक्टर–1, का आवंटन पत्र दिनांक 05.11.2018 को श्री मुकुट लाल माथुर पुत्र श्री उमराव मल भाथुर के नाम 30×69=192.30 वर्गमीटर का आरक्षित दर 6534/– वर्गमीटर से राशि रूपये 12,56,488/– का जारी किया गया । जो पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या 05, सेक्टर–ए, पूर्वी पाल रोड क्षैत्रफल 252 वर्गमीटर का आवंटन पत्र जारी किया गया । जिसकी राशि रूपये 51,433/– प्रार्थी द्वारा जमा करा दिये गये । आवंटन पत्र दिनांक 14.12.2018 को आरक्षित दर 6534/– वर्गमीटर से 252 वर्गमीटर की राशि रूपये 15,58,000/– व रामराज नगर योजना चौखा की आरक्षित दर 6534/– वर्गमीटर से क्षैत्रफल 192.30 वर्गमीटर की राशि रूपये 12,56,488/– जमा योग्ये बताये गये । पैरा नं. 52 में आई. आर. ए. की गणना अनुसार प्रार्थी को मात्र रूपये 12,185/– अधिक जमा राशि लौटाने का उल्लेख किया है । जबकि प्रार्थी को जारी आवंटन पत्र क्रमांक 2949 दिनांक 05.11.2018 के अनुसार प्रार्थी को अधिक जमा राशि रूपये 3,13,976/– का उल्लेख किया गया है । अतः प्रकरण में कौन सी अधिक जमा राशि का रिफण्ड किया जावें ।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 21 :: श्री अभिषेक बडगुर्जर पुत्र स्व. श्री देवी सिंह बडगुर्जर भूखण्ड संख्या 347 सेक्टर–01 रामराज नगर योजना ग्राम चौखा जोधपुर अधिक जमा राशि रिफण्ड करने के संबंध में ।

प्रार्थी श्री देवी सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह को पूर्वी पाल रोड योजना में लॉटरी दिनांक 08.03.1995 को भूखण्ड संख्या डी–14 पूर्वी पाल रोड येाजना में आवंटन किया गया था । जिसका लाईसेन्स व साईट प्लान दिनांक 09.06.1995 को जारी किया गया। प्रार्थी को भौतिक कब्जा देते वक्त खसरा विवाद न्यायालय में वाद 158/2017 लम्बित होने के कारण भौतिक कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया । कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2018 के प्रस्ताव संख्या 54 में लिये गये निर्णय अनुसार प्रार्थी की सहमति के आधार पर रामराज नगर चौखा में भूखण्ड संख्या 347 सेक्टर–1, का आवंटन पत्र दिनांक 14.12.2018 को श्री अभिषेक बड गूजर पुत्र स्व. श्री देवी सिंह के नाम 30×69=192.30 वर्गमीटर का आरक्षित दर 6534/– वर्गमीटर से राशि रूपये 12,56,488/– का जारी किया गया । जो पूर्व में आवंटित भूखण्ड संख्या डी–14 पूर्वी पाल रोड क्षैत्रफल 250 वर्गमीटर का आवंटन पत्र जारी किया गया। जिसकी राशि रूपये 46,000/– प्रार्थी द्वारा रसीद संख्या 423/86 दिनांक 29.05.1995 के जरिये जमा करा दिये गये । आवंटन पत्र दिनांक 14.12.2018 को जारी अनुसार आरक्षित दर 6534/– वर्गमीटर से 250 वर्गमीटर की राशि रूपये 15,58,000/– व रामराज नगर योजना चौखा की आरक्षित दर 6534/– वर्गमीटर से क्षैत्रफल 192.30 वर्गमीटर की राशि रूपये 12,56,488/– जमा योग्य बताये गये । पैरा नं. 74 में सचिव महोदय द्वारा कीगई गणना अनुसार प्रार्थी को मात्र रूपये 10,616/– अधिक जमा राशि लौटाने का उल्लेख किया गया है । जबकि प्रार्थी को जारी आवंटन पत्र क्रमांक 2965 दिनांक 14.12.2018 के अनुसार प्रार्थी की अधिक जमा राशि रूपये 3,01,512/– का उल्लेख किया गया है । अतः प्रकरण में कौन सी अधिक जमा राशि का रिफण्ड किया जावें ।

प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 22 :: भूखण्ड संख्या बी 756 आनंद विहार योजना अनुराधा/गजेसिंह

प्रार्थीनी अनुराधा/गजेसिंह द्वारा प्राधिकरण की आवासीय योजना आनंद विहार योजना में आवेदन कमांक 599 का आवेदन भूखण्ड आवंटन हेतु किया है। प्रार्थीनी द्वारा धरोहर राशि 5000/– रू जमा कराए है।

प्रार्थीनी का आवेदन लॉटरी मे सम्मिलित करते हुए प्रार्थीनी को लॉटरी द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग में भूखण्ड संख्या बी 756 आवंटन हुआ। आवंटन पश्चात् प्रार्थीनी द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने पर प्राधिकरण पत्रांक 3160 दिनांक 9.1.2019 को पत्र प्रेषित किया गया था जिसके संबंध में प्रार्थीनी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र में राज्य के पिछडे वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। **आनंद विहार की पुस्तिका के बिंदु संख्या 22 (7) के अनुसार गलत आरक्षित वर्ग में टिक करने पर तथा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही करने पर प्रार्थीनी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा एवं पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। आवेदन पत्र का निरस्तीकरण किसी भी स्टेज पर अथवा आवेदन के पश्चात् भी किया जा सकता है।**

उपरोक्त प्रकरण में विधी शाखा की रिपोर्ट प्राप्त की गयी। विधी शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीनी के आवेदन पत्र के बिंदु संख्या 12 में संलग्न दस्तावेजो की सूची में प्रविष्टि संख्या 4 में मूल रूप से अनु. जाति व अनु. जनजाति प्रमाण पत्र के कॉलम में क्रॉस किया हुआ है तथा बाद में काटकर टिक का निशान किया हुआ है। कुल संलग्न दस्तावेंजो की संख्या भी पहले (3) लिखकर बाद में कोष्ठक में 4 की हुयी है। आवेदिका के द्वारा आवेदन पत्र के साथ अन्य पिछडा वर्ग (रावणा राजपूत) का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र (पृष्ठ 6) में भी आवेदिका ने स्वयं की जाति राजपूत लिखी है।

अतः उपयुक्त वस्तुस्थिति को दृष्टिगत रखते हुये यदि आवेदिका को अनु. जाति के रूप में कंसीडर करने से यदि आवेदिका को अंडर एडवान्टेज नही हुआ हो तथा प्राधिकरण के हितो पर प्रतिकुल प्रभाव नही पडा है तो आवेदिका का आवंटन बहाल रखा जा सकता है। उपरोक्त विधी शाखा ने राय प्रस्तुत की है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में आवेदिका को आवंटन पत्र जारी किया जावें अथवा नही, का प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में विचारार्थ एवं निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 23 :: श्री मानवेन्द्र चौधरी को अधिवक्ता लॉटरी में आवंटित भूखण्ड के एवज में अन्य भूखण्ड आवंटन हेतु।
योजना का नामः– रामराज नगर योजना, नाम :– श्री मानवेन्द्र सिंह चौधरी आवंटित भूखण्ड सं.:– 38 सेक्टर 1 कॉर्नर भूखण्ड का क्षेत्रफलः– 148.64 वर्गमीटर आवंटन तिथी :– 22.2. 2018

प्रार्थी को रामराज नगर योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 38 सेक्टर 1 कॉर्नर का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 148.64 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 60 फीट है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझे आवंटित भूखण्ड गहरे गढ्डे में स्थित है जिसकी मौका रिपोर्ट मंगवायी जाने पर कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूखण्ड 10 से 12 फीट आधे हिस्से में तथा 15 से 18 फीट रोड लाईन के नीचे गढ्ढे में होना दर्शाया है।

प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का आवंटन पत्र भूखण्ड का आकार 25ग64 अर्थात् 148. 64 वर्गमीटर से आवंटन पत्र जारी किया गया जबकि मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को आवंटित भूखण्ड का वास्तविक माप 31.6 . 34.6/2ग64त्र 196.79 वर्गमीटर होता है जिसके अनुसार कीमत राशि जमा होनी थी। प्रार्थी को जारी किये गये आवंटन पत्र में भूखण्ड का क्षेत्रफल 148. 64 वर्गमीटर तथा कनिष्ठ अभियंता की मौका रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का वास्तविक माप 196.79 वर्गमीटर का अंतर क्षेत्रफल 48.15 का डिमाण्ड राशि 5,65,013/– रूप्ये जमा कराने हेतु प्रार्थी को प्रेषित किया गया किन्तु प्रार्थी द्वारा उपरोक्त राशि जमा नही करा कर इसी योजना में अन्य रिक्त भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है। भूखण्ड की साइज अलग–अलग इसलिये है कि आवंटन पत्र में भूखण्ड की साइज अलग है तथा कनिष्ठ अभियंता की रिपोर्ट अनुसार भूखण्ड का माप अलग दर्शाया गया था इसलिये भूखण्ड की साइज अलग–अलग दर्शायी गयी थी।

प्रार्थी को इसी योजना के कॉर्नर भूखण्डों की सूची प्रेषित करने पर प्रार्थी द्वारा भूखण्ड सं. 23 सेक्टर 1 रामराज नगर का आवंटन करने की मांग की है। भूखण्ड सं. 23 का माप 30x64=178.96 वर्गमीटर है तथा उक्त भूखण्ड के सडक की चौडाई 60 फीट है।

अतः प्रार्थी को भूखण्ड संख्या 23 सेक्टर 1 रामराज नगर का आवंटन करने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में रखा जाना प्रस्तावित है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 24 :: श्री रेवत राम को आनंद विहार योजना में अनुसूचित जाति के वर्ग में भूखण्ड आवंटन हुआ है जिसका संशोधन अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में करने बाबत्।
योजना का नामः— आनंद विहार आवासीय योजना
नाम :— श्री रेवत राम आवंटित भूखण्ड सं.:— 297 सेक्टर :— बी
भूखण्ड का क्षेत्रफलः— 72 वर्गमीटर आवंटन तिथी :— 5.10.2018

प्रार्थी को आनंद विहार योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 297 सेक्टर बी का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 12 मीटर है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेंने आवेदन अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में आवेदन किया था जबकि लॉटरी में अनुसूचित जाति की श्रेणी में आवंटन हुआ जिसके अनुसार भूखण्ड सं. बी 297 का आवंटन पत्र प्राप्त हुआ। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझे आवंटन पत्र में अनुसूचित जाति की श्रेणी को संशोधित कर अनुसूचित जनजाति की श्रेणी करने की मांग की है।

प्रार्थी को भूखण्ड का आकार 6X12 मीटर में आवेदन किया है जिसमें लॉटरी द्वारा 200 भूखण्ड लॉटरी निम्नानुसार की गयी है।

1 राज्य कर्मचारी हेतु 18 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित तथा 37 भूखण्ड आरक्षित थे। उक्त वर्ग हेतु दो प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये है।
2 सैनिक— इस वर्ग हेतु 10 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित है जिसके अनुसार 20 भूखण्डों की लॉटरी की गयी है एवं तीन प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये है।
3 अनुसूचित जाति— उक्त वर्ग हेतु 9 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित तथा 18 भूखण्ड का आवंटन किया गया तथा 13 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये।
4 अनुसूचित जनजाति— उक्त वर्ग हेतु 6 प्रतिशत भूखण्ड आरक्षित एवं 12 भूखण्ड लॉटरी हेतु आरक्षित आवंटन किये गये तथा 1 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 25 :: **भूखण्ड संख्या बी 552 आनंद विहार योजना ग्राम मोकलावास श्री सिद्वराज सिंह के आवंटन पत्र एवं रिफण्ड करने के सम्बन्ध में।**

योजना का नामः– आनंद विहार आवासीय योजना
नाम :– श्री सिद्वराज सिंह आवंटित भूखण्ड सं.:– 552
सेक्टर :– बी भूखण्ड का क्षेत्रफलः– 40.5 वर्गमीटर
आवंटन तिथीः– 5.10.2018

प्रार्थी को आनंद विहार योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 552 सेक्टर बी का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 40.5 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 9 मीटर है।

प्रार्थी श्री सिद्वराज सिंह द्वारा आनंद विहार योजना में ऑनलाइन आवेदन क्रमांक 10029 भूखण्ड आवंटन हेतु आवेदन किया था। प्रार्थी द्वारा धरोहर राशि 5000/– रु जमा कराये थे। ऑनलाइन आवेदन की जांच कर आवेदन लॉटरी में सम्मिलित किये गये। लॉटरी दिनांक 5.10.2018 को प्रार्थी को भूखण्ड संख्या बी 552 आनंद विहार येाजना में आवंटन हुआ। लॉटरी में आवंटन होने के पश्चात प्रार्थी को कमी पूर्ति हेतु पत्र जारी किया गया था।

प्रार्थी द्वारा कमी पूर्ति पत्र के जवाब में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुझे पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर येाजना में भूखण्ड सं. 170 आवंटन हुआ है तथा मेरे द्वारा आनंद विहार योजना मे आवेदन किया उसे निरस्त कर मेरे जमा धरोहर राशि का रिफण्ड किया जावें जिस पर विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर में भूखण्ड सं. 170 का मांग पत्र 6.12.2017 को जारी किया गया तथा 18.1.2018 को उक्त भूखण्ड की लीजडीड भी जारी की गयी थी तथा आनंद विहार की पुस्तिका में उपरोक्त परिस्थिति के संबंध में कोई स्पष्ट प्रावधान नही दिया गया है फिर भी प्रार्थी को नियमानुसार रिफण्ड देने हेतु अपनी राय प्रस्तुत की जो पत्रावली पैरा सं. 37 में प्रस्तुत है। निदेशक विधी की राय अनुसार उपरोक्त प्रकरण को ईसी बैठक में रखने हेतु प्रस्तावित किया है ताकि इस प्रकार के प्रकरण भविष्य में अन्य योजना में लागु नही होवें।

पत्रावली में सचिव महोदय के निर्देशानुसार एक ही परिवार के अधिक व्यक्ति आवंटन करने हेतु अपनायी गयी प्रकिया निम्नानुसार है।

एक ही परिवार में एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक भूखण्ड के लिये एक से अधिक श्रेणी में आवेदन करना वर्जित है ऐसा करने पर मिथ्या घोषणा व कपट मानते हुये सभी आवेदन निरस्त कर संपूर्ण अग्रिम राशि जब्त कर ली जाएगी।

यदि आवेदक स्वयं, पत्नी पति व आश्रित सदस्य द्वारा योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत किऐ जाते है एवं एक से अधिक सदस्य सफल होते है तो उस स्थिति में भूखण्ड परिवार के एक ही व्यक्ति को मिलेगा शेष परिवार/आश्रित सफल आवेदको के भूखण्ड आवंटन नही किये जाएगें व जमा राशि में से 5 प्रतिशत राशि काटकर शेंष राषि लौटा दी जाएगी। आवंटी जिस सदस्य का भूखण्ड आप रखना चाहते है उसकी राशि आवंटन पत्र प्राप्ति से 30 दिवस में जमा करानी होगी एवं एक ही भूखण्ड प्राप्त किये जाने का शपथ पत्र भी देना होगा।

अतः प्रकरण निदेशक विधी की राय अनुसार ईसी बैठक में निर्णयाथ हेतु रखा जाना प्रस्तावित है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 26 :: श्री आ. खालिद भूखण्ड सं. 01 न्यु बकरा मण्डी का अन्य समकक्ष वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के सम्बंन्ध मे।
योजना का नामः— न्यू बकरा मंडी चौखा नाम :— श्री आ. खालिद आवंटित भूखण्ड सं.:— 1 कॉर्नर भूखण्ड का क्षेत्रफलः— 116.12 वर्गमीटर आवंटन तिथी :— 25.4.2006

प्रार्थी को न्यू बकरा मंडी चौखा योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 1 कॉर्नर का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 116.12 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 40 फीट हैं।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूखण्ड संख्या 1 कॉर्नर न्यू बकरा मंडी में आवंटित भूखण्ड मास्टर प्लान 2031 के अनुसार उक्त योजना का सडक मार्गाधिकार 200 फीट होने से सडक में विलिन हो गया है। प्रार्थी द्वारा दर्शाया गया कि उक्त भूखण्ड कॉर्नर है जबकि इस योजना के मानचित्र अनुसार उक्त भूखण्ड कॉर्नर है तथा मानचित्र के अनुसार भूखण्ड के सडक की चौडाई 40 फीट है।

प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान 2031 के अनुसार 200 फीट मार्गाधिकार होने से आवंटित भूखण्ड सडक में विलिन होने के कारण इसी योजना में रिक्त भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 में से एक भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है।

उपरोक्त योजना में न्यू बकरा मंडी की जमीअतुल कुरेश जोधपुर सोसायटी के जनरल सेकेटरी अब्दुल खालिद कुरेशी द्वारा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यू बकरा मंडी में भूखण्ड वहा पर गुजर रही पाइप लाईन से प्रभावित है। उन भूखण्डों को इसी योजना में शिफ्ट करने की मांग की है जिसके अनुसार प्राधिकरण बैठक दिनांक 19.5.2011 को निर्णय लेकर न्यू बकरा मंडी योजना में पाइप लाईन से प्रभावित भूखण्डो को इसी योजना में मानचित्र को संशोधित करते हुए दिनांक 24.5.2011 को न्यू बकरा मंडी में पाइप लाईन से प्रभावित भूखण्डों को इसी योजना में शिफ्ट किये गये है।

अतः प्रार्थी न्यू बकरा मंडी योजना में भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 का शिफ्ट अपने भूखण्ड के एवज मे करने की मांग की है जबकि भूखण्ड संख्या 16, 17 व 18 दिनांक 24.5.2011 के अनुसार उन आवंटियों को इसी योजना में पाइप लाईन से प्रभावित होने से आवंटित किये गये है। भूखड सं. 16, 17, 18 की सडक की चौडाई 40 फीट है।

पत्रावली में कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौका रिपोर्ट में दर्शाया है कि भूखण्ड सं. 16, 17, 18 में पाइप लाईन का प्रभाव नही होना दर्शाया है केवल भूखण्ड सं. 15 में आंशिक भाग होना दर्शाया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णय हेतु रखा जाना प्रस्तावित है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 27 :: श्री आ. खालिद भूखण्ड सं. 01 न्यु बकरा मण्डी का अन्य समकक्ष वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के सम्बंध मे।
योजना का नामः— न्यू बकरा मंडी चौखा नाम :— श्री आ. खालिद आवंटित भूखण्ड सं.:— 1 कॉर्नर भूखण्ड का क्षेत्रफलः— 116.12 वर्गमीटर आवंटन तिथी :— 25.4.2006

प्रार्थी को न्यू बकरा मंडी चौखा योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 4 का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 116.12 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 40 फीट है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूखण्ड संख्या 4 न्यू बकरा मंडी में आवंटित भूखण्ड मास्टर प्लान 2031 के अनुसार उक्त योजना का सडक मार्गाधिकार 200 फीट होने से सडक में विलिन हो गया है। प्रार्थी द्वारा दर्शाया गया कि उक्त भूखण्ड कॉर्नर है जबकि इस योजना के मानचित्र अनुसार उक्त भूखण्ड कॉर्नर नही है तथा मानचित्र के अनुसार भूखण्ड के सडक की चौडाई 40 फीट है।

प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान 2031 के अनुसार 200 फीट मार्गाधिकार होने से आवंटित भूखण्ड सडक में विलिन होने के कारण इसी योजना में रिक्त भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 में से एक भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है।

उपरोक्त योजना में न्यू बकरा मंडी की जमीअतुल कुरेश जोधपुर सोसायटी के जनरल सेकेटरी अब्दुल खालिद कुरेशी द्वारा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यू बकरा मंडी में भूखण्ड वहा पर गुजर रही पाइप लाईन से प्रभावित है। उन भूखण्डों को इसी योजना में शिफ्ट करने की मांग की है जिसके अनुसार प्राधिकरण बैठक दिनांक 19.5.2011 को निर्णय लेकर न्यू बकरा मंडी योजना में पाइप लाईन से प्रभावित भूखण्डो को इसी योजना में मानचित्र को संशोधित करते हुए दिनांक 24.5.2011 को न्यू बकरा मंडी में पाइप लाईन से प्रभावित भूखण्डों को इसी योजना में शिफ्ट किये गये है।

अतः प्रार्थी न्यू बकरा मंडी योजना में भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 का शिफ्ट अपने भूखण्ड के एवज मे करने की मांग की है जबकि भूखण्ड संख्या 16, 17 व 18 दिनांक 24.5.2011 के अनुसार उन आवंटियों को इसी योजना में पाइप लाईन से प्रभावित होने से आवंटित किये गये है। भूखड सं. 16, 17, 18 की सडक की चौडाई 40 फीट है।

पत्रावली में कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौका रिपोर्ट में दर्शाया है कि भूखण्ड सं. 16, 17, 18 में पाइप लाईन का प्रभाव नही होना दर्शाया है केवल भूखण्ड सं. 15 में आंशिक भाग होना दर्शाया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णय हेतु रखा जाना प्रस्तावित है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 28 :: श्रीमति छोटी को भूखण्ड सं. 05 न्यु बकरा मण्डी का अन्य समकक्ष वैकल्पिक भूखण्ड आवंटन करने के सम्बंन्ध मे।
योजना का नामः– न्यू बकरा मंडी चौखा नाम :– श्रीमति छोटी आवंटित भूखण्ड सं.:– 5 भूखण्ड का क्षेत्रफलः– 116.12 वर्गमीटर आवंटन तिथीः– 25.4.2006

प्रार्थी को न्यू बकरा मंडी चौखा योजना की लॉटरी में भूखण्ड संख्या 5 का आवंटन हुआ। भूखण्ड का क्षेत्रफल 116.12 वर्गमीटर है एवं सडक की चौडाई 40 फीट है ।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भूखण्ड संख्या 5 न्यू बकरा मंडी में आवंटित भूखण्ड मास्टर प्लान 2031 के अनुसार उक्त योजना का सडक मार्गाधिकार 200 फीट होने से सडक में विलिन हो गया है। प्रार्थी द्वारा दर्शाया गया कि उक्त भूखण्ड कॉर्नर है जबकि इस योजना के मानचित्र अनुसार उक्त भूखण्ड कॉर्नर नही है तथा मानचित्र के अनुसार भूखण्ड के सडक की चौडाई 40 फीट है।

प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड मास्टर प्लान 2031 के अनुसार 200 फीट मार्गाधिकार होने से आवंटित भूखण्ड सडक में विलिन होने के कारण इसी योजना में रिक्त भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 में से एक भूखण्ड आवंटन करने की मांग की है।

उपरोक्त योजना में न्यू बकरा मंडी की जमीअतुल कुरेश जोधपुर सोसायटी के जनरल सेकेटरी अब्दुल खालिद कुरेशी द्वारा पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि न्यू बकरा मंडी में भूखण्ड वहा पर गुजर रही पाइप लाईन से प्रभावित है। उन भूखण्डों को इसी योजना में शिफ्ट करने की मांग की है जिसके अनुसार प्राधिकरण बैठक दिनांक 19.5.2011 को निर्णय लेकर न्यू बकरा मंडी योजना में पाइप लाईन से प्रभावित भूखण्डो को इसी योजना में मानचित्र को संशोधित करते हुए दिनांक 24.5.2011 को न्यू बकरा मंडी में पाइप लाईन से प्रभावित भूखण्डों को इसी योजना में शिफ्ट किये गये है।

अतः प्रार्थी न्यू बकरा मंडी योजना में भूखण्ड संख्या 16, 17, 18 का शिफ्ट अपने भूखण्ड के एवज मे करने की मांग की है जबकि भूखण्ड संख्या 16, 17 व 18 दिनांक 24.5. 2011 के अनुसार उन आवंटियों को इसी योजना में पाइप लाईन से प्रभावित होने से आवंटित किये गये है। भूखड सं. 16, 17, 18 की सडक की चौडाई 40 फीट है।

पत्रावली में कनिष्ठ अभियंता द्वारा मौका रिपोर्ट में दर्शाया है कि भूखण्ड सं. 16, 17, 18 में पाइप लाईन का प्रभाव नही होना दर्शाया है केवल भूखण्ड सं. 15 में आंशिक भाग होना दर्शाया है।

अतः प्रकरण कार्यकारी समिति बैठक में निर्णय हेतु रखा जाना प्रस्तावित है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 29 :: भूखण्ड संख्या 51 पण्डित दीन दयाल उपाध्याय विहार आवासीय योजना में ब्याज एवं शास्ती जमा कराने संबंध में । श्री संजय चौधरी पुत्र श्री चैनाराम

भूखण्ड संख्या 51 पण्डित दीन दयाल उपाध्याय विहार आवासीय योजना का लॉटरी दिनांक 15.11.2017 को क्षेत्रफल 20 बाई 40 = 74.32 वर्गमीटर का श्री संजय चौधरी पुत्र श्री चैनाराम को आवंटित हुआ था। प्रार्थी को आवंटन पत्र क्रमांक 39 दिनांक 5.12.2017 को जारी किया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एवं शास्ती जमा करा कर भूखण्ड बहाल करने का निवेदन किया है।

आवंटन पत्र 5.12.2017 को जारी किया जा चुका है। जो 1 वर्ष 1 माह 20 दिन की देरी हो चुकी है। भूखण्ड स्वतः ही निरस्त हो चुका हैं। नियमन/ बहाल हेतुः—: 90 दिवस से 1 वर्ष की अवधि सभापति (आयुक्त महोदय)
1 वर्ष से 2 वर्ष तक ऑर्थोरटी
2 वर्ष से अधिक की अवधि राज्य सरकार नियमन/ बहाल में निम्न राशि वसूल करने का प्रावधान है।
6 माह तक 15 प्रतिशत ब्याज व 5 प्रतिशत शास्ति
6 माह से अधिक 15 प्रतिशत व 10 प्रतिशत शास्ति

उक्त भूखण्ड की राशि को 1 वर्ष 1 माह 20 दिवस हो चुके है तथा 2 वर्ष के भीतर है। अतः भूखण्ड की बकाया राशि, ब्याज एंव शास्ति वसूल किये जाने एंव भूखण्ड बहाल हेतु प्राधिकरण की कार्यकारी समिति में वास्ते निर्णयार्थ हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 30 :: विवेक विहार योजना अवार्ड में भूखण्ड सं. डी–1143 के दोहरा आवंटन के संबंध में ।

अवार्ड सं. 208 खसरा नं. 230/428 ग्राम सांगरिया रकबा 111.11 व.ग. अवार्डी श्रीमती पप्पुदेवी पत्नी गणेशराम के नाम दर्ज है। अवार्डी श्रीमती पप्पुदेवी पत्नी गणेशराम को अवाप्त भूमि के एवज में मुआवजे के रूप में दिनांक 26.03.2012 की लॉटरी में भूखण्ड संख्या डी–1143 का आवंटन हुआ। उक्त भूखण्ड का आवंटन पत्र दिनांक 17.05.2013 को जारी हो चुका है। एवं लीजडीड क्रमांक 1656 दिनांक 31.05.2013 को हो चुकी है। अवार्ड में आंवटित भूखण्ड सं. डी–1143 आवंटन अन्य अवार्ड संख्या 103 ग्राम कुड़ी भगतासनी में दिनांक 22.03.2012 की लॉटरी में किया गया है। जिसकी लीजडीड भी जारी की जा चुकी है। उक्त भूखण्ड सं. डी–1143 रकबा 111.11 व.ग. का दोहरा आवंटन हो गया है। अवार्डी श्रीमती पप्पुदेवी पत्नी श्री गणेशराम ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड के बदले अन्य भूखण्ड इसी नाप इसी सेक्टर में दिलवाने की मांग की है। विवके विहार योजना में सेक्टर एच में आवासीय 111.11 व.ग. के रिक्त भूखण्डों की सूची एन.आई.सी. शाखा से प्राप्त सूची संलग्न है। अतः उक्त अवार्ड में आंवटित भूखण्ड डी–1143 का आवंटन निरस्त कर अवार्डी को वांछित क्षेत्रफल के भूखण्ड का आंवटन करने हेतु प्रकरण निर्णय हेतु कार्यकारी समिति की बठक में रखा जाना प्रस्तावित है
प्राधिकरण की एन.आई.सी शाखा से प्राप्त विवेक विहार योजना में सेक्टर एच में 20 गुणा 50 यानि 111.11 वर्गगज के रिक्त भूखण्डों की सूची निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल वर्गगज	सड़क फीट
1	एच–573	111.11	30
2	एच–622	111.11	30
3	एच–642	111.11	30
4	एच–668	111.11	30

5	एच–746	111.11	30
6	एच–762	111.11	30
7	एच–773	111.11	30
8	एच–916	111.11	30
9	एच–995	111.11	30
10	एच–1016	111.11	30
11	एच–1033	111.11	30

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से आवेदक श्रीमती पप्पूदेवी को भूखण्ड संख्या 573 सेक्टर–एच आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 31 :: भूखण्ड संख्या 554, सेक्टर ओ नाप 74.31 के स्थान पर इसी योजना में अन्य भूखण्ड आवंटन करने के संबध में।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड 554 सेक्टर ओ नाप 74.31 श्रीमती उर्मिला मीना/बत्तीलाल मीना को आवंटन हुआ आवंटी को दिनांक 11.04.2012 को आवंटन पत्र जारी किया गया आंवटी द्वारा जरिये रसीद सख्या 9001/57498 दिनांक 10.09.2012 को रूपये/279909 प्राधिकरण कोष में जमा करवायें गये उक्त भूखण्ड दोहरा आवंटन होने के कारण उक्त भूखण्ड का पट्टा विवेक विहार अवार्ड शाखा द्वारा दिनांक 01.07.2013 को श्री भगवाना राम पुत्र श्री किरताराम के नाम पट्टा जारी किया जा चुका मुल आवंटी उर्मिला मीना/बत्तीलाल मीना को पट्टा जारी नहीं किया गया है। व मूल आवंटी द्वारा इसी योजना में इसी सेक्टर में इसी नाप का भूखण्ड आवंटन करने की सहमती प्रस्तुत की है। अतः प्रकरण आवंटन हेतु कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदक को दोहरा आवंटन क्यों हुआ है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत की जावे। साथ ही समान क्षेत्रफल एवं समान चौडाई की सड़क का विकल्प प्रस्तुत किया जावे।

प्रस्ताव संख्या 32 :: भूखण्ड संख्या 736, सेक्टर एच नाप 74.31 वर्ग.मी विवेक विहार योजना को नियमन करने के संबध में।

प्राधिकरण की विवेक विहार योजना में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड 736 सेक्टर एच नाप 74.31 वर्ग.मी का आंवटन श्री अरविन्द पंडित को हुआ कार्यालय द्वारा आंवटन पत्र 27.04.2012 को जारी किया गया आवंटी द्वारा जरिये रसीद संख्या 9001/1068 दिनांक 03.04.2014 को रूपये/279909 प्राधिकरण कोष में जमा करवायें गये आवंटी द्वारा दिनांक 09.06.2017 को प्राधीकरण में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टा जारी करनें मांग की पत्रावली में राशी जमा संबध में आई.आर.ए से रिपोर्ट प्राप्त करने पर पाया की आवंटी द्वारा भूखण्ड की किमत 706 दिवस बाद जमा करवाई है। जो आवंटन पत्र की शर्त संख्या 03 के अनुसार नहीं होने के कारण भूखण्ड निरस्त योग्य होने के कारण प्रकरण प्रकरण प्राधिकरण की बैठक दिनांक 24.11.2017 में रखा गया निर्णय अनुसार प्रकरण राज्य सरकार को नियमन हेतु भेजने का निर्णय लिया गया कार्यालय के पत्र क्रमांक **F-48/ VVY/DC(S)/RL/17/2** दिनांक 05.01.2017 को पत्र जारी किया गया। आवंटी द्वारा पुनः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ब्याज शास्ती जमा कराने की सहमती प्रस्तुत की पत्रावली में विधिक राय प्राप्त हुई जिसमें दो वर्ष के भीतर नियमतिकरण हेतु

प्राधिकरण की बैठक में पुनःविचार किया जा सकता है। मान्यवर इस प्रकार के छः प्रकरण है जिनमें आवंटीयों द्वारा छः माह एक वर्ष व दो वर्ष के भीतर राशी जमा करवाई गयी है। उन प्रकरणों में भी राज्य सरकार को नियमन हेतु भेजें गयें है। जबकी उन प्रकरणों में मूल राशी जमा है। व ब्याज शास्ती आवंटीयों द्वारा जमा करवानें की सहमती भी प्राप्त है। उक्त आवंटी बार–बार प्राधिकरण में चक्कर काट कर राशी जमा कराकर पट्टा जारी करनें की मांग कर रहे है। प्रकरण पुनःविचार हेतु प्रेषीत है। अतः प्रकरण निर्णय हेतु कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण में ब्याज व शास्ति सहित राशि जमा कर आवंटन बहाल करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 33 :: भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर डी पूर्वी पाल योजना के स्थान पर रामराज नगर या सुन्दरसिंह भंडारी में भूखण्ड आवंटन करने बाबत्।

प्राधिकरण की पूर्वी पाल योजना में लोटरी दिनांक 04.08.1989 को भूखण्ड संख्या 121 सेक्टर डी नाप 120 वर्ग.मी. श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश को आवंटन हुआ उक्त योजना में विधि शाखा की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 740/1012 में माननीय न्यायलय में जेडीए वर्सेज हंसराज का वादलंबित होने के कारण प्राथीनी द्वारा अपनी सहमती उक्त भूखण्ड के स्थान पर **रामराज नगर योजना** या **सुन्दरसिंह भंडारी नगर योजना** में उक्त भूखण्ड आवंटन की मांग की है। प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्वी पाल रोड योजना में ऐसे समस्त प्रकरणों को चिन्हित करके उनका समग्र एजेण्डा तैयार कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे ताकि सामान प्रकरणों में नीतिगत निर्णय लिया जा सके।

प्रस्ताव संख्या 34 :: भूखण्ड संख्या 52 सेक्टर ई मसुरिया सेक्शन 4 योजना की डुप्लीकेट पत्रावली संन्धारित करने हेतु।

तत्कालीन नगर विकास न्यास की मसुरिया सेक्शन 4 सेक्टर ई जोधपुर मे भूखण्ड संख्या 52 निलामी द्वारा श्रीमती शान्ती सिंघल पत्नि श्री नन्दलाल सिंघल द्वारा भूखण्ड खरीद किया गया था। कार्यालय द्वारा दिनांक 28.06.1979 को भूखण्ड संख्या 52 मसुरिया सेक्टर ई सेक्शन 4 नाप 750 वर्गगज का लाईसेंस जारी किया गया दिनांक 30.05.1990 को उक्त भूखण्ड की लीज डीड जारी की गई। प्रार्थी द्वारा उक्त भूखण्ड की बेचान अनुमति कार्यालय नगर निगम जोधपुर से मांग की गई। उक्त भूखण्ड की पत्रावली नगर निगम जोधपुर में उपलब्ध नहीं होने के कारण नगर निगम द्वारा उक्त पत्रावली प्राधिकरण से उपलब्ध करवानें की मांग की गई। उक्त पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रकरण मे माननीय लोकायुक्त कार्यालय के आदेशो की पालना मे डुप्लीकेट पत्रावली संन्धारित करनें हेतु सर्च नोट जारी करवाकर सभी शाखाओं से रिर्पोट प्राप्त की गई जिसमें उक्त पत्रावली उपलब्ध नही होने के कारण डुप्लीकेट पत्रावली बनवाने हेतु प्रार्थी से मूल दस्तावेज मंगवाकर मिलान कर प्रस्तुत फोटो–प्रति दस्तावेजों के आधार पर डुप्लीकेट पत्रावली बनाई जा रही है। कार्यालय द्वारा प्रार्थी से आमसूचना का प्रकाशन करवाया गया समय–अवधि किसी तरह का ऐतराज प्राप्त नहीं हुआ। अतः डुप्लीकेट पत्रावली बनाकर इस कार्यालय के पत्र **क्रमांक :– F-48/**

VVY/DC(S)/RL/19/980-982 दिनांक 25.04.2019 को नगर निगम को कार्यकारी समिति की अनुशंसा में भेजी गई डुप्लीकेट पत्रावली बनाने हेतु प्रकरण कार्यकारी समिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से प्रकरण को अनुमोदित करने का निर्णय लेते हुए डुप्लीकेट पत्रावली बनाने का अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 35 :: भूखण्ड़ संख्या 153 क, सेक्टर ए, मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना के स्थान पर दूसरा भूखण्ड़ आवंटन बाबत्।

प्राधिकरण की **मामा अचलेश्वर प्रसाद नगर योजना** में लॉटरी दिनांक 25.04.2008 को भूखण्ड़ संख्या 153 क, सेक्टर ए, **श्री पदम विनोदानी** को कॉर्नर भूखण्ड़ आवंटन हुआ। आवंटी द्वारा कॉर्नर भूखण्ड़ की राशि दिनांक 18.06.2018 को जमा करवाई गई हैं, परंतु भूखण्ड़ संख्या 153, दोहरा आवंटन होने के कारण माननीय न्यायालय की पालना व प्राधिकरण की बैठक दिनांक 11.03.2015 के निर्णय अनुसार आवंटी **श्रीमती केशरदेवी पत्नी श्री बुद्वाराम** को पट्टा जारी करने का निर्णय व दूसरे आवंटी से विकल्प लेने का निर्णय लिया गया, परंतु प्रार्थी **श्री पदम विनोदानी** द्वारा इसी योजना में कॉर्नर भूखण्ड़ आवंटन की मांग है। उपलब्ध रेकर्ड अनुसार मामा अचलेश्वर प्रसाद में कॉर्नर रिक्त भूखण्ड 30X60 मे उपलब्ध नहीं है। एन.आई.सी शाखा द्वारा रिक्त कॉर्नर भूखण्ड की सूची अनुसार सेक्टर बी में भूखण्ड संख्या 01 भूखण्ड संख्या 15,16 रिक्त होना बताया है परन्तु इनका नाप 40X60 का उपलब्ध हो रहा है। व उक्त भूखण्डों के आगे सड़क का नाप एक साइड 30 फिट व एक साइड 60 फिट उपलब्ध हो रहा है। जबकी आवंटी के भूखण्ड संख्या 153 के आगे दोनो तरफ 30 फिट की सड़क उपलब्ध हो रही थी। अतः प्रकरण आवंटन हेतु कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण में पत्रावली के पैरा संख्या 54 पर उपलब्ध विकल्पों में से कोई भी भूखण्ड 60 फीट गुणा 30 फीट आकार का कॉर्नर भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। मूल भूखण्ड 30 फीट सडक का कॉर्नर भूखण्ड था। 30 फीट सडकों पर कोई भी कॉर्नर भूखण्ड उपलब्ध नहीं है। भूखण्ड संख्या ए–111 जो कि 30 फीट एवं 40 फीट चौडी सडकों का कॉर्नर भूखण्ड है तथा जो 60'x(29'8"+39')/2 = 2059.92 Sq. feet का है। जो कि प्रार्थी के मूल भूखण्ड 30 फीट गुणा 60 फीट के काफी करीब क्षैत्रफल एवं लगभग समान सड़कों की चौड़ाई पर स्थित है लेकिन अधिक क्षैत्रफल 259.92 वर्ग फीट के अतिरिक्त क्षैत्रफल की राशि जमा करवा कर भूखण्ड संख्या ए–111 आवंटित कर दिया जावे।

प्रस्ताव संख्या 36 :: मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ग्राम चौखा खसरा संख्या 827/650 आवास के प्रकरण के सम्बन्ध में, आवेदक श्रीमती निशा

आवासीय योजना ग्राम तनावड़ा द्वितीय चरण खसरा संख्या 136 जोधपुर में दिनांक 04/10/2017 को आवास आवंटन हेतु लॉटरी कर दिनांक 27/10/2017 को आवंटन पत्र श्रीमती निशा पत्नी श्री धनराज के नाम आर्थिक दुष्टि से कमजोर आय वर्ग का फ्लेट संख्या E09-FF-08 आवंटित हुआ आवंटी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण एवं स्वयं जमा करवाई जाने वाली राशि निम्न प्रकार से समायोजित की जानी थी–

क्र. स.	चरण	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	जमा कराने की अन्तिम दिनांक
	फ्लैट की कुल कीमत	रूपये 3.90 लाख	
1.	पंजीयन राशि (पूर्व जमा)	2000/–	पूर्व में जमा।
	पूर्वग्रहण राशि आवंटन के 30 दिवस में (मानचित्र, शुल्क राशि अतिरिक्त) अ. पूर्वग्रहण राशि रू. 7000/– मनचित्र शुल्क राशि रू. 100/– कुल योग रू. 7100/–	7100/–	26/11/2017
2.	पूर्वग्रहण राशि आवंटन से 60 दिवस में	7000/–	26/12/2017
3.	पूर्वग्रहरण राशि आवंटन से 90 दिवस में	7000/–	26/01/2018
4.	स्वीकृत बैंक ऋण राशि, अथवा आवंटी द्वारा स्वयं द्वारा स्वयं के ऋण नही लेने की स्थिति में आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिवस में (इस राशि का समायोजन पंजीकरण राशि में नही किया जा सकेगा)	2,92,200/–	26/02/2018
5.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 150 दिवस में	3200/–	26/03/2018
6.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 180 दिवस में	3200/–	26/04/2018
7.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 210 दिवस में	3200/–	26/05/2018
8.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 240 दिवस में	3200/–	26/06/2018
9.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 270 दिवस में	3200/–	26/07/2018
10.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 300 दिवस में	3200/–	26/08/2018
11.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 330 दिवस में	3200/–	26/09/2018
12.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 360 दिवस में	3200/–	26/10/2018
13.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 390 दिवस में	3200/–	26/11/2018
14.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 420 दिवस में	3200/–	26/12/2018
15.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 450 दिवस में	3200/–	26/01/2019
16.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 480 दिवस में	3200/–	26/02/2019
17.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 510 दिवस में	3200/–	26/03/2019
18.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 540 दिवस में	3200/–	26/04/2019

आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नही कराने पर फ्लैट स्वतः निरस्तीकरण की भाषा में आ जाता है। भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(5) के अनुसार उक्त स्वतः रद्द करने क तिथी से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् सभापति के पास भूमि का ऐसा आवंटन नियमित करने की कोई शक्ति नही होगी, लेकिन न्यास के पास आवंटी द्वारा भूमि की लागत की राशि व खण्ड 1 में उपबंधित अनुसार ब्याज व शास्ती भुगतान करने पर एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 09.06.2009 के प्रस्ताव संख्या 17(2) के अनुसार The Rajasthan Improvement Trust(Disposal of Urban Land) Rules, 1974 में जहां न्यास अंकित है वे समस्त शक्तियां कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त है।

उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ग्राम तनावड़ा द्वितीय चरण खसरा संख्या 136 आवास योजना

क्र. स.	आवंटी का नाम	फ्लेट संख्या	आवंटन पत्र जारी होने की तिथी	स्वतः निरस्तीकरण की तिथी	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक से एक वर्ष की

					दिनांक
1	श्रीमती निशा पत्नी श्री धनराज	E09-FF-08	27.10.2017	24.01.2018	24.01.2019

प्रकरण अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि आवंटी जितनी भी किश्तें बकाया है, उन पर ब्याज व शास्ति एक साथ जमा करवाने के लिए तत्पर हो तो बकाया समस्त किश्त, ब्याज व शास्ति की राशि एक साथ जमा कराने की शर्त पर उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 37 :: मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ग्राम चौखा खसरा संख्या 827/650 आवास के प्रकरण के सम्बन्ध में, आवेदक श्रीमती भगवती

आवासीय योजना ग्राम चौखा खसरा संख्या 827/650 जोधपुर में दिनांक 04/10/2017 को आवास आवंटन हेतु लॉटरी कर दिनांक 27/10/2017 को आवंटन पत्र श्रीमती भगवती पुत्री श्री माधाराम के नाम आर्थिक दुष्टि से कमजोर आय वर्ग का फ्लेट संख्या E25-GF-02 आवंटित हुआ आवंटी द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण एवं स्वयं जमा करवाई जाने वाली राशि निम्न प्रकार से समायोजित की जानी थी–

क्र. स.	चरण	आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग	जमा कराने की अन्तिम दिनांक
	फ्लेट की कुल कीमत	रूपये 3.90 लाख	
1.	पंजीयन राशि (पूर्व जमा)	2000/–	पूर्व में जमा।
	पूर्वग्रहण राशि आवंटन के 30 दिवस में (मानचित्र, शुल्क राशि अतिरिक्त) अ. पूर्वग्रहण राशि — रू. 7000/– मनचित्र शुल्क राशि — रू. 100/– कुल योग — रू. 7100/–	7100/–	26/11/2017
2.	पूर्वग्रहण राशि आवंटन से 60 दिवस में	7000/–	26/12/2017
3.	पूर्वग्रहरण राशि आवंटन से 90 दिवस में	7000/–	26/01/2018
4.	स्वीकृत बैंक ऋण राशि, अथवा आवंटी द्वारा स्वयं द्वारा स्वयं के ऋण नही लेने की स्थिति में आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिवस में (इस राशि का समायोजन पंजीकरण राशि में नही किया जा सकेगा)	2,92,200/–	26/02/2018
5.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 150 दिवस में	3200/–	26/03/2018
6.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 180 दिवस में	3200/–	26/04/2018
7.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 210 दिवस में	3200/–	26/05/2018
8.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 240 दिवस में	3200/–	26/06/2018
9.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 270 दिवस में	3200/–	26/07/2018
10.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 300 दिवस में	3200/–	26/08/2018

11.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 330 दिवस में	3200/—	26/09/2018
12.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 360 दिवस में	3200/—	26/10/2018
13.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 390 दिवस में	3200/—	26/11/2018
14.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 420 दिवस में	3200/—	26/12/2018
15.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 450 दिवस में	3200/—	26/01/2019
16.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 480 दिवस में	3200/—	26/02/2019
17.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 510 दिवस में	3200/—	26/03/2019
18.	आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से 540 दिवस में	3200/—	26/04/2019

आवंटन पत्र जारी होने के 90 दिवस में राशि जमा नही कराने पर फ्लैट स्वतः निरस्तीकरण की भाषा में आ जाता है। भूमि निष्पादन नियम 1974 के नियम 17(5) के अनुसार उक्त स्वतः रद्द करने क तिथी से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् सभापति के पास भूमि का ऐसा आवंटन नियमित करने की कोई शक्ति नही होगी, लेकिन न्यास के पास आवंटी द्वारा भूमि की लागत की राशि व खण्ड 1 में उपबंधित अनुसार ब्याज व शास्ती भुगतान करने पर एक वर्ष की और अवधि बढ़ाने की शक्ति होगी। जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की बैठक दिनांक 09.06.2009 के प्रस्ताव संख्या 17(2) के अनुसार The Rajasthan Improvement Trust(Disposal of Urban Land) Rules, 1974 में जहां न्यास अंकित है वे समस्त शक्तियां कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रदत्त है।

उपरोक्तानुसार मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के अन्तर्गत ग्राम चौखा खसरा संख्या 827/650 आवास योजना

क्र.स.	आवंटी का नाम	फ्लेट संख्या	आवंटन पत्र जारी होने की तिथी	स्वतः निरस्तीकरण की तिथी	स्वतः निरस्तीकरण की दिनांक से एक वर्ष की दिनांक
1	श्रीमती भगवती पुत्री श्री माधाराम	E25-GF-02	27.10.2017	24.01.2018	24.01.2019

प्रकरण अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

<u>निर्णय</u>

बैठक में बाद विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि आवंटी जितनी भी किश्तें बकाया है, उन पर ब्याज व शास्ति एक साथ जमा करवाने के लिए तत्पर हो तो बकाया समस्त किश्त, ब्याज व शास्ति की राशि एक साथ जमा कराने की शर्त पर उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है।

प्रस्ताव संख्या 38 :: भूखण्ड संख्या— 02 खसरा न. 269 कुड़ी भगतासनी, मुख्य पाली रोड़ पर स्थित व्यवसायिक भूखण्ड के संदर्भ में ।

उपरोक्त भूखण्ड संख्या—02 खसरा न. 269 कुड़ी भगतासनी, मुख्य पाली रोड़ पर स्थित व्यवसायिक भूखण्ड दिनांक 4/02/2019 को नीलामी द्वारा विक्रय किया गया था जिसमें उच्चतम बोली श्रीमति मंजुला गर्ग, श्री वी. के. गर्ग एंव श्री राहुल गर्ग द्वारा रूपये 26000/— प्रति वर्ग मीटर लगाई गई थी जिसे नीलामी समिति ने उचित मानते हुये तत्काल 1/4 राशि रूपये 66,00,000/—जमा कराये जाने के निर्देश प्रदान किये। तत्पश्चात् आयुक्त महोदय द्वारा उक्त उच्चतम बोली दिनांक 25/02/2019 को स्वीकृति प्रदान की।

नीलामी शाखा द्वारा पत्र क्रमांक F-46 नीलामी/2019/613 दिनांक 6/03/2019 को बकाया 3/4 राशि रूपये 1,95,20,900/– को निर्धारित तिथि 27/03/2019 तक जमा करवाये जाने बाबत डिमाण्ड नोटिस जारी किया।

श्रीमति मंजुला गर्ग, श्री वी. के. गर्ग एंव श्री राहुल गर्ग द्वारा उक्त दिनांक 27/03/2019 को HDFC बैंक से RTGS द्वारा प्राधिकरण कोष में Reverse Due Issue होने की वजह से दिनांक 27/03/2019 की जगह दिनांक 28/03/2019 को प्रातः प्राधिकरण कोष में जमा हुये।

नीलामी की प्रचलित शर्त संख्या–3 के अनुसार बोली स्वीकृति तिथि से 30 दिनों के भीतर शेष 3/4 राशि जमा करवानी होगी। अथवा उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात् आगामी 60 दिनों के भीतर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से बोली स्वीकृति की तिथि में राशि जमा करवाई जा सकती है।

प्रार्थीयों द्वारा अन्तिम तिथि दिनांक 27/03/2019 को बकाया 3/4 राशि बैंक के RTGS System के Reverse Due होने की वजह से राशि रू.1,95,20,900/– 28/3/2019 को जमा होने के कारण नीलामी की शर्त संख्या–3 के अनुसार निलामी शाखा द्वारा पत्र क्रमांक F-46 नीलामी/2019/619 दिनांक 16/04/2019 द्वारा उपरोक्त शर्त अनुसार बकाया 3/4 राशि पर 15 प्रतिशत ब्याज के रूपये 2,56,713/– का नोटिस जारी किया गया। जिसकी पालना में प्रार्थी ने अपने पत्र दिनांक 18/04/2019 द्वारा उपरोक्त HDFC बैंक का RTGS System मैं Reverse Due होने के कारण पैसा बैंक में होते हुये भी प्राधिकरण कोष में जमा नहीं हो सका। उनका कोई ऐसा देरी से राशि जमा कराने का उद्देश्य भी नहीं था। बैंक की टेक्नीकल त्रुटि की वजह से राशि जमा में देरी हुई है। इस कारण उन्हें ब्याज से माफी दी जावें। उपरोक्तानुसार प्रकरण कार्यकारी समिति के समक्ष विचारार्थ एंवम निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श दौरान अवगत कराया गया कि इस संबंध में राज्य सरकार ने स्पष्टीकरण दिनांक 12 सितम्बर, 1995 जारी किया गया है जिसमें 3/4 राशि जमा कराने के नोटिस जारी करने की तिथि को आधार मानकर उससे अवधि की गणना करने का उल्लेख है। चूंकि नोटिस दिनांक 6 मार्च, 2019 को जारी हुआ है। अतः दिनांक 28 मार्च, 2019 को जमा करवायी गयी राशि निर्धारित समयावधि में है। अतः कोई ब्याज एवं शास्ती नहीं बनती है।

प्रस्ताव संख्या 39 :: रेक्को (Rexco) से वर्ष 2019–20 के 01 सुरक्षा अधिकारी, 02 सुपरवाईजर, 57 सुरक्षागार्ड, 01 लिपिक के अनुबंध स्वीकृति हेतु।

जोधपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्रांक 21 दिनांक 12.04.2019 के तहत रेक्को (Rexco) से वर्ष 2019–20 के अनुबंध के तहत 01 सुरक्षा अधिकारी, 02 सुपरवाईजर, 57 सुरक्षागार्ड, 01 लिपिक हेतु अनुबंध किया गया है उक्त सर्विस रेक्को (Rexco) से लेने हेतु कार्यालय टिप्पणी के पेरा नं. एन/163,164,165 के तहत कार्यकारी समिति की बैठक मे रखे जाने की अनुशंषा की गई।

अतः अनुबंध स्वीकृति हेतु एजेन्डा तैयार कर कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से उपरोक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 40 :: भूखण्ड़ संख्या 144 सेक्टर जी विवेक विहार योजना के संबध में।

प्राधिकरण की **विवेक विहार योजना** में लॉटरी दिनांक 09.09.2011 को भूखण्ड़ संख्या 144 सेक्टर जी, 292.64 वर्ग.मी का आवंटन **श्री रूपसिंह पुरोहित पुत्र श्री छतरसिंह** को आवंटन हुआ। आवंटी द्वारा आवंटन पत्र के आधार पर दिनांक 11.05.2012 को भूखण्ड की किमत जमा करवाकर दिनांक 19.07.2012 को कब्जा प्राप्त कर दिनांक 28.06.2013 को उक्त भूखण्ड का पट्टा प्राप्त किया। आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौके पर भूखण्ड का नाप कम होना बताया उस पर कार्यालय द्वारा दिनांक 08.05.2019 को हलका कनिष्ठ अभियंता से मौका रिर्पोट मंगवाई गई जिसमें भूखण्ड संख्या 143 से 150 की रिर्पोट प्राप्त हुई है। जिसमें भूखण्ड संख्या 144 मौके पर 40X70 का 260 मीटर उपलब्ध हो रहा है। जबकी कॉर्नर भूखण्ड 143 मौके पर पूर्ण रूप से उपलब्ध नही हो रहा है। मौके पर 144 नम्बर भूखण्ड अब 40X70 व कॉर्नर उपलब्ध हो रहा है। आवंटी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जितनी राशि जमा करवाई गई है। ब्याज सहित लौटाने व आवंटन निरस्त करने की मांग कर रहा है। साथ ही बिन्दु संख्या 02 में 5 फिट भूमि जो कम पड़ रही है। उस की राशि ब्याज सहित लौटाकर पट्टा संशोधित करने की मांग कर रहा है। चूंकी मौके पर भूखण्ड अब कॉर्नर उपलब्ध हो रहा है। इसे आवंटन करने या आवंटी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में राशि ब्याज सहित लौटाने हुते प्रकरण कार्यकारी समिति के विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत हैं।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि कॉर्नर प्लाट किन परिस्थितियों को कारण वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसकी जांच कर रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावे। जाचं करने हेतु उपायुक्त–दक्षिण के संयोजन में समिति का गठन किया जाता है। उक्त समिति उप नगर नियोजक, संबंधित सहायक अभियन्ता, श्री दयाल सिंह राजपुरोहित, राजस्व निरीक्षक सदस्य होंगे। जो अपनी सारगर्भित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

प्रस्ताव संख्या 41 :: जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान –2031 (प्रारूप) में ग्रामीण क्षेत्र की डी.सी.आर. के संबंध में।

जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (प्रारूप) की पुस्तिका के साथ ग्रामीण क्षेत्र की डी.सी.आर. संलग्न है परंतु आवेदकों द्वारा मास्टर प्लान पुस्तिका के पृष्ठ संख्या 137 व 138 पर उल्लेखित ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अन्य अनुज्ञेय उपयोगों का कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया है। अतः बी.पी.सी.(एल.पी.) की बैठक दिनांक 27.02.2019 में लिये गये निर्णय के कम में श्रीमान् द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार एवं वार्तानुसार जोधपुर मास्टर डवलपमेंट प्लान–2031 (प्रारूप) पुस्तिका में ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत अन्य अनुज्ञेय उपयोगों को सम्मिलित करते हुए संशोधित डी.सी.आर का प्रारूप निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

RURAL AREA

Permitted Use Premises in Rural Area

The following use premises are permissible in this land use after approval of the competent Authority

Minimum road width and use premises				
Uses	**12m (40')**	**18m (60')**	**24m (80')**	**30m (100' & above)**
Residential	Farm Houses			
Commercial		Petrol Pump, Motels, Gas Godowns, Resorts, Gas Pump		
Public/Semi -Public		Nursery, Primary, Middle Schools, Coaching centre, Training Centre & institute	Secondary, Senior Secondary Schools.	College, University, Professional Institution
Recreational	Parks	Playgrounds, Amusement Park, Water Park, Disneyland, Appu Ghar		
Industrial	Brick Kilns, Crushers, Agro Based Industry, Cottage Industry and Household, Small Scale Industries			
Agricultural	Plant Nursery, Orchard, Dairy Farm, Poultry farm, Wild life Sanctuary			
Public Utilities	On all roads after approval from competent authority			

* Village Abadi extensions upto certain limit is allowed in Rural Areas.

उपरोक्तानुसार ग्रामीण क्षेत्र की संशोधित डी.सी.आर का प्रारूप अवलोकनार्थ, अनुमोदनार्थ पश्चात् आगामी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय

बैठक में बाद विचार विमर्श सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण आगामी कार्यकारी समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

तत्पश्चात् बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(यह कार्यवाही विवरण संबंधित पत्रावली (पत्रावली संख्या बैठक शाखा/ 2018/ भाग–9/ कार्यकारी समिति की बैठक पत्रावली) के पैरा संख्या 131..../एन पर आयुक्त महोदय के अनुमोदन के उपरान्त जारी किया जा रहा है। उपरोक्त जारी किये जाने वाले कार्यवाही विवरण के संबंध में किसी भी सदस्य को यदि कोई आपत्ति हो तो वह कार्यवाही विवरण जारी होने के 7 दिवस में इस कार्यालय को अवगत करावें अन्यथा स्थिति में कार्यकारी समिति के निर्णय प्रभावी माने जावेंगे।

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

क्रमांक/बैठक/2019/795 ट0813   दिनांक :: 05जून, 2019

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय/आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपायुक्त—पूर्व/पश्चिम/मुख्यालय/यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर/पुलिस अधीक्षक—ग्रामीण, जोधपुर
06. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड/क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको—जोधपुर/बोरानाड़ा
10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर/ प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक— अभियांत्रिकी/नियोजन/वित्त/विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त—पूर्व/ पश्चिम/ उत्तर/ दक्षिण/ मुख्यालय/ उपसचिव/ भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता—I/II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट—कम—प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

परिशिष्ट–1

दिनांक 24 मई, 2019 को 11.00 बजे श्री गौरव अग्रवाल, आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर की अध्यक्षता में आयोजित कार्यकारी समिति की बैठक में उपस्थित अधिकारियों का विवरण

1. श्री ओ.पी. बुनकर, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
2. श्री ए.के. गुप्ता, निदेशक–अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
3. श्री तुलसीदास शर्मा, निदेशक–वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
4. श्री जगदीश कुमार, निदेशक–विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
5. श्री पी.आर. बेनीवाल, निदेशक–आयोजना, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
6. श्री ओ.पी. विश्नोई, उपायुक्त–दक्षिण/पूर्व, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
7. श्री श्रवण सिंह, उपायुक्त–पश्चिम/उत्तर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
8. श्री भानु प्रताप, उप निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान, जयपुर
9. श्री स्वरूप सिंह, उपायुक्त–मुख्यालय, नगर निगम, जोधपुर
10. श्री भूपेन्द्र सिंह शेखावत, सहायक पुलिस उपायुक्त, जोधपुर
11. श्री श्रवण कुमार दाधिच, प्रबन्धक, बीसीएस, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
12. श्री सुनील डी., अधिशाषी अभियन्ता सी. डिविजन–III, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर

कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर – 342001

email- jdajodhpur@yahoo.com वेब–साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/2656355-7 Fax 021-2612086

क्रमांक / बैठक / 2019 / दिनांक :: जून, 2019

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 24 मई, 2019 का कार्यवाही विवरण जरिये क्रमांक बैठक / 2019 / 795 दिनांक 4 जून, 2019 जारी किया गया। निदेशक–वित्त ने आयुक्त महोदय को यू.ओ. नोट क्रमांक लेखा / 2019–20 / 500 दिनांक 7 जून, 2019 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कार्यकारी समिति की गत बैठक दिनांक 24 मई, 2019 के प्रस्ताव संख्या 4 में निर्णय का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ ''जोधपुर किला रोड से बाल समंद रावटी सडक तक नवीन सडक निर्माण कार्य'' के प्रस्ताव के निर्णय में संपूर्ण तथ्यों का समावेश नहीं हुआ यथा– कार्य की भुगतान की राशि एवं भुगतान की दरों की शर्ते इत्यादि। अतः इस पर पुनः परीक्षण कर विस्तृत नोट के साथ निदेशक–अभियांत्रिकी से भुगतान की राशि व दर बाबत प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिया जाना उचित होगा।

अतः निदेशक–वित्त के उक्त यू.ओ. नोट क्रमांक लेखा / 2019–20 / 500 दिनांक 7, जून, 2019 के क्रम में गत कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 24 मई, 2019 में प्रस्ताव संख्या–4 में लिये गये निर्णय को स्थगित किया जाता है।

साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते है कि ''जोधपुर किला रोड से बाल समंद रावटी सडक तक नवीन सडक निर्माण कार्य'' का प्रस्ताव संपूर्ण तथ्यों का समावेश कर निदेशक–अभियांत्रिकी से स्पष्ट प्रस्ताव मय स्पष्टीकरण निर्णयार्थ आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(ओ.पी. बुनकर)
सचिव

क्रमांक / बैठक / 2019 / 815–832 दिनांक :: 07 जून, 2019

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर
02. निजी सचिव (अध्यक्ष महोदय / आयुक्त महोदय), जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
03. जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर
04. प्रबन्ध निदेशक, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर
05. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / मुख्यालय / यातायात, जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट, जोधपुर / पुलिस अधीक्षक–ग्रामीण, जोधपुर
06. आयुक्त (मुख्य कार्यकारी अधिकारी) नगर निगम, जोधपुर
07. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, जोधपुर
08. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग, जोधपुर
09. प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड / क्षेत्रीय प्रबन्धक, रीको–जोधपुर / बोरानाड़ा

10. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर / प्रबन्धक (याता.), राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम लिमिटेड, जोधपुर
11. उप निदेशक, पर्यटन, जोधपुर
12. निदेशक– अभियांत्रिकी / नियोजन / वित्त / विधि, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
13. उपायुक्त–पूर्व / पश्चिम / उत्तर / दक्षिण / मुख्यालय / उपसचिव / भूमि अवाप्ति अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
14. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
15. अधीक्षण अभियन्ता–I / II, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
16. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर (उप निदेशक) जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को आवश्यक कार्यवाही एवं वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु।
17. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
18. ....

(ओ.पी. बुनकर)
सचिव